RNI No. MAHBIL /2009/31746
Reg. No. MCS/176/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष ३, अंक १५] **गुरुवार ते बुधवार, मे ४-१०, २०१७/वैशाख १४-२०, शके १९३९** **[पृष्ठे ४०**

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४, सन् २०१५.— हैद्राबाद इनाम और नकद अनुदानों का उत्पादन (संशोधन) अधिनियम, २०१५. . .	२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २५, सन् २०१५.— हैद्राबाद इनाम और नकद अनुदानों का उत्पादन (संशोधन) अधिनियम, २०१५. . .	३
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २६, सन् २०१५.— महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क (संशोधन) अधिनियम, २०१५. . .	५
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७, सन् २०१५.— महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१५. . .	७
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८, सन् २०१५.— महाराष्ट्र असहायताप्राप्त निजी वृत्तिक शिक्षा संस्था (प्रवेश तथा फीस का विनियमन) अधिनियम, २०१५. . .	९
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९, सन् २०१५.— महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय प्राधिकरणों और अन्य निकायों के सदस्यों के निर्वाचनों का अस्थायी स्थगन) अधिनियम, २०१५. . .	२३
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३०, सन् २०१५.— महाराष्ट्र समुद्रीय मछुवारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, २०१५. . .	२५
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१, सन् २०१५.— महाराष्ट्र लोकसेवा अधिकारी अधिनियम, २०१५. . .	२७
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३२, सन् २०१५.— महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन) अधिनियम, २०१५. . .	३७
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३३, सन् २०१५.— महाराष्ट्र मछुवारी (संशोधन) अधिनियम, २०१५. . .	३९

MAHARASHTRA ACT No. XXIV OF 2015.

THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ३१ जुलाई २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

एम. ए. सईद,
प्रधान सचिव, तथा विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXIV OF 2015.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक ३१ जुलाई २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; **इसलिए**, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :- सन् १९६१ महा. २४।

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाये ।

सन् १९६१ का महा. २४ में धारा ७३ गग की निविष्टि।

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० की धारा ७३ ग ख के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९६१ महा. २४।

निर्वाचन स्थगित करने की राज्य सरकार की शक्ति।

" **७३गग.** जहाँ दुर्भिक्षता, सूखा, बाढ, आग या किसी अन्य नैसर्गिक विपदा के या बारिश के मौसम या के कारण राज्य विधानसभा या परिषद या लोकसभा या स्थानीय प्राधिकरण, का कोई निर्वाचन कार्यक्रम, किसी संस्था या संस्थाओं के वर्ग का निर्वाचन कार्यक्रम एक साथ होना, राज्य सरकार की राय में किसी संस्था या संस्थाओं के वर्ग का निर्वाचन करना लोकहित में नहीं है, तो राज्य सरकार, इस अधिनियम या नियमों या तद्धीन बनाये गये उप-विधियों द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी संस्था या संस्थाओं के वर्ग का निर्वाचन एक समय में छः महीने से अधिक न हो ऐसी अवधि के लिए स्थगित करेगी, तथापि, जो अवधि इस प्रकार अधिकतर विस्तारित की जायेगी वह कुल अवधि कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। "।

(यथार्थ अनुवाद),
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXV OF 2015.

THE HYDERABAD ABOLITION OF INAMS AND CASH GRANTS (AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १४ अगस्त, २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
प्रभारी सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXV OF 2015.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE HYDERABAD ABOLITION OF INAMS AND CASH GRANTS ACT, 1954.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २५ सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक १७ अगस्त, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

हैदराबाद ईनाम और नक़द अनुदानों का उत्सादन अधिनियम, १९५४ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

सन् १९५५ का हैदराबाद अधिनियम क्र. ८ ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, हैदराबाद ईनाम और नक़द अनुदानों का उत्सादन अधिनियम, १९५४ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. (१) यह अधिनियम हैद्राबाद ईनाम और नक़द अनुदानों का उत्सादन (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए।

सन् १९५५ का हैदराबाद अधिनियम क्र. ८ की धारा ६ में संशोधन।

सन् १९५५ का हैदराबाद अधिनियम क्र. ८।

२. हैदराबाद इनाम और नक़द अनुदानों का उत्सादन अधिनियम, १९५४ की धारा ६ की, उप-धारा (३) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

सन् २०१५ का महा. २५।

सन् १९६६ का महा. ४१।

" (३) (क) हैदराबाद ईनाम और नक़द अनुदानों का उत्सादन (संशोधन) अधिनियम, २०१५ (जिसे इसमें आगे इस उप-धारा में " प्रारंभण दिनांक " कहा गया है), के प्रारंभण को या के बाद, **मदद मश ईनाम** भूमियों का अधिभोग, नई और अविभाज्य अवधि (अधिभोगी वर्ग-दो) के लिए गई कृषिक प्रयोजन के लिए अधिभोगी द्वारा अन्तरित करके धारण किया जा सकेगा, और ऐसे अन्तरण के लिए, कलक्टर या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी या अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे अन्तरण के पश्चात्, ऐसी भूमि का अधिभोग महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ के उपबंधों के अनुसार नयी और अविभाज्य अवधि (अधिभोगी वर्ग-दो) द्वारा, सदैव धारण किया जायेगा :

परंतु, नयी और अविभाज्य अवधि (अधिभोगी वर्ग-दो) पर, धारण किया हुआ ऐसा कोई अधिभोग, प्रारम्भण दिनांक को या के बाद, सरकार को **नजराना** के रूप में ऐसी भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य की पचास प्रतिशत राशि अदा करके, अधिभोगी वर्ग-एक में संपरिवर्तित किया जा सकेगा और ऐसे संपरिवर्तन के पश्चात्, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ के उपबंधों के अनुसरण में अधिभोगी द्वारा, अधिभोगी वर्ग-एक के रूप में, ऐसी भूमि धारण करेगा : सन् १९६६ का महा. ४१।

परंतु आगे यह कि, प्रारम्भण दिनांक को या के पश्चात्, कलक्टर या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी बिना कोई ऐसा अधिभोग, नयी और अविभाज्य अवधि (अधिभोगी वर्ग-दो) धारित हैं और ऐसी भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य की पचास प्रतिशत के समान राशि अदा किये बिना, कृषिकेतर उपयोग के लिये अंतरित किया गया है तो **नजराना** के रुप में ऐसी भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत के समान राशि और शास्ति के रूप में ऐसी राशि के पचास प्रतिशत के समान की राशि की अदायगी पर ऐसा अंतरण विनियमित किया जा सकेगा और ऐसी अदायगी पर, अधिभोगी, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ के उपबंधों के अनुसार, अधिभोगी वर्ग-एक के रूप में भूमि धारण करेगा। सन् १९६६ का महा. ४१।

(ख) प्रारम्भण दिनांक के पूर्व, यदि नयी और अविभाज्य अवधि (अधिभोगी वर्ग-दो) पर **मदद मश ईनाम** भूमि अधिभोग पहले से ही धारित है, तो कलक्टर या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्वमंजूरी या अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना, कृषिक प्रयोजन के लिये अधिभोगी द्वारा अन्तरित किया गया है तो, ऐसे अन्तरण के लिये उसके सबूत के रूप मे क्रय विलेख, उपहार विलेख आदि जैसे, रजिस्ट्रिकृत लिखत की प्रस्तुति पर **नजराना** के रूप में किसी राशि के भुगतान के बिना ऐसा अन्तरण विनियमित किया जा सकेगा। ऐसे विनियमन के पश्चात्, ऐसी भूमि का अधिभोगी, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ के उपबंधो के अनुसार नयी और अविभाज्य अवधि (अधिभोगी–वर्ग दो) पर ऐसे अंतरिति अधिभोगी द्वारा धारण की गई समझी जायेगी :

परंतु, प्रारंभण के दिनांक से पूर्व, कलक्टर या सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, नयी और अविभाज्य अवधि (अधिभोगी वर्ग-दो) पर **मदद मश ईनाम** भूमि का कोई ऐसा अधिभोग पहले से ही धारित है, कृषिकेतर उपयोग के लिए अंतरित किया गया है तो **नजराना** के रुप में नियमितीकरण आदेश के दिनांक पर ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत समान राशि की अदायगी पर ऐसा अंतरण विनियमित किया जा सकेगा और शास्ति के रूप में ऐसी राशि की रकम दस प्रतिशत के समान होगी और ऐसी अदायगी पर अधिभोगी, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे आदेश के दिनांक से प्रभावी होने के साथ अधिभोगी-वर्ग एक के रूप में भूमि धारण की गयी समझी जायेगी। सन् १९६६ का महा. ४१।

(ग) खंड (क) और (ख) के उपबंध निम्न के लिए लागू नहीं हो सकेंगे—

(एक) **वक्फ** अधिनियम, १९९५ के उपबंधों के अधीन जो संपत्ति वक्फ रूप में प्रशासित है, स्थायी रूप से समर्पित रहेगी ; सन् १९९५ का ४३।

(दो) **ख़िदमत मश** (सेवा ईनाम) भूमि ;

(तीन) **मदद मश इनाम** भूमि जो **मुंतखाब (सनद)** के निबंधन और शर्तों के अध्यधीन देवस्थान की ख़िदमत (सेवा) के लिए दिया गया भाग है ;

(चार) तत्कालीन सरकार द्वारा अनुदानित मूल सरकारी भूमियाँ :

परंतु, कलक्टर, यह सत्यापित करेगा कि **मदद मश इनाम** भूमियों के **मुंतख़ाब (सनद),** खंड (एक) से (चार) के भीतर नहीं आ रहे हैं। ”

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXVI OF 2015.

THE MAHARASHTRA ENTERTAINMENTS DUTY (AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १७ अगस्त २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
प्रभारी सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXVI OF 2015.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA ENTERTAINMENTS DUTY ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २६ सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक १७ अगस्त २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् १९२३ का १ ।

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. ११ ।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, और इसलिए, महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, २०१५, १२ जून २०१५ को प्रख्यापित हुआ था ;

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाये ।

(२) यह १२ जून २०१५ को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

सन् १९२३ का १ ।

सन् १९२३ का १ की धारा ४ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा, ४ की उप-धारा (३) में, " और धारा ५ के " शब्द और अंक अपमार्जित किये जायेंगे।

सन् १९२३ का १ की धारा ४ख में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ४ख, की, उप-धारा (४) में, " और निदेश भी दे सकेंगे " शब्दों से प्रारंभ होनेवाले और " उस रकम के डेढ़ गुना " शब्दों से समाप्त होनेवाले प्रभाग के स्थान में " और स्वत्वधारी, इस प्रकार निर्धारित शुल्क की रकम के अतिरिक्त धारा ५ के अनुसार शास्ति का भुगतान करने का भी दायी होगा " शब्द और अंक रखे जायेंगे।

सन् १९२३ का १ की धारा ५ का प्रतिस्थापन।

४. मूल अधिनियम की धारा ५ में, यथा निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

धारा ४ के अननुपालन के लिये दंड।

" **५.** (१) यदि कोई व्यक्ति मनोरंजन के किसी स्थान में प्रवेशित है और धारा ४ के उपबंधों का अनुपालन नहीं करता है, तब मनोरंजन के स्वत्वधारी को जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रवेशित है, मनोरंजन शुल्क, जिसका भुगतान करना होगा, के अतिरिक्त, कलक्टर को प्रत्येक ऐसे अननुपालन के लिये, पचास हजार रुपये के समान शास्ति या ऐसे मनोरंजन शुल्क के दस गुना, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने का भी दायी होगा :

परंतु, ऐसे स्वत्वधारी को जब तक सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया नहीं जाता तब तक स्वत्वधारी को ऐसी शास्ति का भुगतान करना आवश्यक है, का कोई आदेश कलक्टर द्वारा पारित नहीं किया जायेगा।

(२) इस धारा के अधीन कलक्टर द्वारा बनाया गया प्रत्येक आदेश, धारा १०क के अधीन अपीलीय होगा। " ।

सन् १९२३ का १ की धारा १०क में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा १०क की, उप-धारा (१) में, " धारा ४ ख के अधीन " शब्दों, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, " या धारा ५ के अधीन आदेश " शब्द और अंक निविष्ट किये जायेंगे।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

६. (१) इस अधिनियम द्वारा, यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्‌भूत हो, **राजपत्र** में, प्रकाशित किसी आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई ऐसे निदेश दे सकेगी जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परंतु, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, ऐसा कोई भी आदेश नहीं बनाया जाएगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

सन् २०१५ का महा. अध्यादेश क्र. ११ का निरसन तथा व्यावृति।

७. (१) महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ एतद्‌द्वारा, निरसित किया जाता है । सन् २०१५ का महा. अध्यादेश क्र. ११ ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत किसी बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत), इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जाएगी ।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXVII OF 2015.

THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE
(SECOND AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १४ अगस्त २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
प्रभारी सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXVII OF 2015.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE, 1966.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७ सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक १७ अगस्त २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, २०१५, १२ जून २०१५ को प्रख्यापित किया गया था ;

सन् १९६६ का महा. ४१।

सन् २०१५ का महा. अध्या. १२।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्नलिखित अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए । संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

(२) यह १२ जून २०१५ को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

२. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (जिसे इसमें आगे " राजस्व संहिता " कहा गया है) की, धारा ४८ की,— सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा ४८ में संशोधन।

(एक) उप-धारा (७) में,—

(क) " कलक्टर के लिखित में आदेश पर, तीन गुना से निर्धारित किसी राशि से अधिक न होनेवाली शास्ति अदा करने " शब्दों के स्थान में, " कलक्टर या कलक्टर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत तहसिलदार से अनिम्न श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी के लिखित में आदेश पर, पाँच गुना की समतुल्य शास्ति अदा करने " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) परंतुक, निरसित किया जायेगा ।

(दो) उप-धारा (८) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

" (८) (१) उप-धारा (७) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलक्टर या कलक्टर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत तहसिलदार से अनिम्न श्रेणी का कोई राजस्व अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा जिसमें अधिकार विहित और समनुदेशित नहीं है, वहाँ उप-धारा (७) में निर्दिष्ट किसी खान, या खदान या अन्य जगह से निष्कर्षण किये गए, हटाये गये, संग्रहित, पुन:स्थापित, उठाये गये या निपटान किये गये किन्हीं खनिजों का अभिग्रहण और अधिहरण कर सकेगा और गौण खनिजों के अनधिकृत निष्कर्षण करने, हटाने, संग्रहण, पुनर्स्थापना, उठाये जाने या निपटान और उसके समान परिवहन के लिये अभिनियोजित परिवहन की किसी यान्त्रिकी साधन के उपयोग के लिये किसी मशीनरी और उपकरण का भी अभिग्रहण और अधिहरण कर सकेगा ।

(२) उप–धारा (१) के अधीन अभिग्रहित गौण खनिजों के अनधिकृत उद्‌द्धरण, हटाने, संग्रहण, पुन:स्थापन, चुने जाने या निपटान के लिए उपयोगी परिवहन की ऐसी मशीनरी या उपकरण या साधन और गौण खनिजों का परिवहन, इस निमित्त कलक्टर या कलक्टर द्वारा प्राधिकृत उप कलक्टर से अनिम्न श्रेणी के ऐसे अन्य अधिकारी को ऐसे अभिग्रहण के अडतालीस घंटों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जाएँगे, ऐसा अधिकारी जो, जैसा कि विहित किया जाए ऐसी शास्ति उसके स्वामी द्वारा अदायगी करने पर, परिवहन की मशीनरी, उपकरण या साधन ऐसे अभिग्रहित है तो रिहा कर सकेगा, को प्रस्तुत करेगा और उसमे परिवहन के अभिग्रहित मशीनरी, उपकरण या कथन किए गए साधन के बाजार मूल्य से अनधिक ऐसी रकम का स्वीय बंधपत्र प्रस्तुत करता है कि, ऐसे अभिग्रहित परिवहन की मशीनरी, उपकरण या साधन का उपयोग भविष्य में गौण खनिजों के अनधिकृत निष्कर्षण, हटाने, संग्रहण, पुन:स्थापन, उठाये गये या निपटान करने के लिए नहीं किया जायेगा। "।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा ३२८ में संशोधन ।

३. राजस्व संहिता की धारा ३२८ की, उप-धारा (२) में, खंड (उन्नीस) के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (उन्नीस) धारा ४८ की उप-धारा (८) के अधीन, गौण खनिजों के अनधिकृत निष्कर्षण, हटाने, संग्रहण, पुन:स्थापन, उठाये जाने या निपटान के लिये उपयोगी परिवहन की मशीनरी, उपकरण या साधन को रिहा करने के लिये, स्वामी द्वारा अदा की जानेवाली शास्ति के विहित नियमों और धारा ४८ की उप-धारा (९) के अधीन गौण खनिजों के उद्‌ध्दरण और हटाने के नियमों को विनियमित करना ;"

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १२ का निरसन तथा व्यावृत्ति ।

४. (१) महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, २०१५, एतद्‌द्वारा, निरसित किया जाता है । सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १२।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित राजस्व संहिता के अधीन (जारी की गई किसी अधिसूचना या आदेश समेत) कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, राजस्व संहिता के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जाएगी ।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXVIII OF 2015.

THE MAHARASHTRA UNAIDED PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSIONS AND FEES) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १४ अगस्त २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
प्रभारी सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXVIII OF 2015.

AN ACT TO PROVIDE FOR REGULATIONS OF ADMISSIONS AND FEES BY UNAIDED PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८ सन् २०१५।

(जो कि राजपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक १७ अगस्त २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में असहायताप्राप्त निजी वृत्तिक शिक्षा संस्था द्वारा प्रवेश और फीस के विनियमन तथा तत्संबंधी या उससे अनुषंगिक मामलों का उपबंध करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें महाराष्ट्र राज्य में असहायताप्राप्त निजी वृत्तिक शिक्षा संस्था द्वारा प्रवेश और फीस के विनियमन तथा तत्संबंधी या उससे अनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक था ; और **इसलिए,** महाराष्ट्र निजी वृत्तिक शिक्षा संस्था (प्रवेश और फीस का विनियमन) अध्यादेश, २०१५, १२ मई २०१५ को प्रख्यापित हुआ था ;

सन् २०१५ का महा. अध्या. ७।

और क्योंकि कतिपय गौण उपांतरणों के साथ उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र असहायताप्राप्त निजी वृत्तिक शिक्षा संस्था (प्रवेश और फीस का विनियमन) अधिनियम, २०१५ कहलाए ।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगा।

(३) यह, १२ मई २०१५ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) " प्रवेश विनियमन प्राधिकरण " का तात्पर्य, असहायताप्राप्त निजी वृत्तिक, शिक्षा संस्थाएँ और सीईटी (CET) संचालन में प्रवेशों के विनियमन के लिए, राज्य सरकार द्वारा धारा ७ के अधीन गठित प्राधिकरण से है ;

(ख) " समुचित प्राधिकरण " का तात्पर्य, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्राधिकरण, जो वृत्तिक पाठ्यक्रम या शैक्षिक विद्याशाखा का अनुमोदन और विनियमन करते है, से हैं ;

(ग) " केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया (सीएपी) " का तात्पर्य, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, शिक्षा संस्था में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को प्रवेश देने के लिए, पारदर्शक एकल खिडकी प्रणाली के जरिए, कार्यान्वित की गई केंद्रीकृत प्रवेश की प्रक्रिया से है ;

(घ) " सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) " का तात्पर्य, एकल खिडकी प्रणाली के ज़रिए वृत्तिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के प्रवेश के प्रयोजन हेतु, केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा (सीएपी) द्वारा उम्मीद्वारों के गुणानुक्रम के निर्धारण के लिए, संचालित प्रवेश परीक्षा से है ;

(ङ) " सक्षम प्राधिकारी " का तात्पर्य, निजी वृत्तिक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेशों के लिए सीएपी के ज़रिए सीईटी के संचालन के लिए, धारा १० के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त किये गये राज्य सीईटी आयुक्त से हैं ;

(च) " निदेशक " का तात्पर्य, निजी वृत्तिक शिक्षा संस्था के पर्यवेक्षण का कार्य सुपूर्द किए गए उच्चतर शिक्षा या तकनीकी शिक्षा के निदेशक या चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के निदेशक या किसी अन्य निदेशालय का निदेशक या राज्य सरकार के किसी आयुक्तालय के आयुक्त से है ;

(छ) " फीस " का तात्पर्य, फीस के रूप में निश्चित रकम जिनमें, अध्यापन फीस, ग्रंथालय फीस, जिमखाना फीस, परीक्षा फीस, विकास फीस या किन्हीं पाठ्यक्रम या सह-पाठ्यक्रमों के क्रियाकलापों के लिए देय रकम, प्रयोगशाला फीस, सूचना विवरणिका फीस और छात्रों से संग्रहीत की गई कोई अन्य रकम, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, और किसी भी रीत्या में स्वीकार्य, किसी भी प्रयोजन के लिए, ऐसी संस्था में वृत्तिक पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश लेनेवाले किसी छात्र द्वारा वह निजी वृत्तिक शिक्षा संस्था में देय बना है, परंतु किसी वैकल्पिक छात्रावास स्थान सुविधा, भोजन गृह प्रभार और छात्र बीमा फीस के उपयोग की ओर का देय कोई प्रभार अपवर्जित होगा ;

(ज) " फीस विनियमन प्राधिकरण " का तात्पर्य, असहायताप्राप्त संस्थाओं में फीस का निर्धारण तथा विनियमन के लिए धारा ११ के अधीन गठित प्राधिकरण से है ;

(झ) " विदेशी छात्र " का तात्पर्य, वह छात्र जो भारत का नागरिक नहीं है ;

(ञ) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(ट) " पार्श्व प्रवेश " का तात्पर्य, जो समुचित प्राधिकरणों के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सीटों के सामने पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में छात्रों के प्रवेश से है ;

(ठ) " प्रबंधमंडल " का तात्पर्य, निजी व्यावसायिक शिक्षा संस्था की प्रबंधन समिति या शासी निकाय, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिन्हें ऐसी संस्था के क्रियाकलाप सुपूर्द किए गए हैं और जहाँ ऐसे क्रियाकलाप किसी व्यक्ति को सुपूर्द किए गए है ऐसे व्यक्ति समेत चाहे जिसे किसी भी नाम या पदनाम से पुकारा जाये, से है ;

(ड) " अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था " का तात्पर्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) के अधीन, महाराष्ट्र राज्य में अधिवासित अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए और स्थापित तथा प्रशासित करने का अधिकार रखनेवाले राज्य सरकार द्वारा ऐसी हैसियत से अधिसूचित निजी वृत्तिक संस्था से है ;

सन् १९६१ का ४३। सन् १९९९ का ४२।

(ढ) " अनिवासी भारतीय (एनआरआय) " का तात्पर्य, वह व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा ६ की उप-धारा (६) के अधीन " साधारणतया निवासी नहीं है " और विदेशी विनियमन प्रबंधन अधिनियम, १९९९ की धारा २ के खण्ड (ब) के अधीन भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति सम्मिलित है, और इनमें उसका शिशु या प्रतिपाल्य भी सम्मिलित है, से है ;

(ण) " भारतीय मूल की व्यक्ति " (पीआयओ) का तात्पर्य, वह व्यक्ति जो भारत से अन्य देश का नागरिक है, परंतु किसी समय में भारत का नागरिक था ; या भारत के संविधान के भाग २ के उपबंधों के आधार पर या भारतीय नागरिकता अधिनियम, १९५५ के अधीन जिनके मामले में या तो माता-पिता या कोई पितामह भारत के नागरिक थे, से है ;

सन् १९५५ का ५७।

(त) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाए गये नियमों द्वारा विहित से है ;

(थ) " निजी वृत्तिक शिक्षा संस्था " का तात्पर्य, समुचित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित या मान्यताप्राप्त और किसी विश्वविद्यालय से सहबद्ध किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों के संचालन के लिये, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, किसी महाविद्यालय, विद्यालय, संस्थान, संस्था या अन्य निकाय से है, परन्तु, इसमें,—

(एक) केंद्र सरकार, कोई राज्य सरकार, या कोई स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित, पोषित या प्रशासित कोई ऐसी संस्था ;

सन् १९५६ का ३।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा ३ के अधीन विश्वविद्यालय समझे जाने के लिये घोषित संस्था ; या

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और अनुरक्षण) विनियम, २००३ के उपबंध लागू है, ऐसा विश्वविद्यालय, शामिल नहीं होगा ;

(द) " वृत्तिक शिक्षा " का तात्पर्य, सरकार द्वारा ऐसे समय-समय से घोषित और अधिसूचित किसी शैक्षिक अध्ययन का पाठ्यक्रम इनमें स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर उपाधि, डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाए, और समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त प्रदान करने का पाठ्यक्रम सम्मिलित है, से है ;

(ध) " मुनाफा खोरी " का तात्पर्य, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, अनुमोदित फीस से किन्हीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, नकद या प्रकार के रूप में स्वीकृत किसी रकम अधिक में हो, से है ;

(न) " विनियमन " का तात्पर्य, विनियमन प्राधिकरण द्वारा विरचित विनियमनों से है ;

(प) " विनियमन प्राधिकरण " का तात्पर्य, धारा ७ के अधीन प्रवेश विनियमन प्राधिकरण से या, यथास्थिति, धारा ११ के अधीन फीस विनियमन प्राधिकरण से है ;

(फ) " मंजूर प्रवेश क्षमता " का तात्पर्य, प्रवेश के समुचित स्तर में, निजी वृत्तिक शिक्षा संस्था में, अध्ययन या अनुशासन के प्रत्येक वृत्तिक पाठ्यक्रम में एकल अकादमिक वर्ष में प्रवेश लेनेवाले उम्मीदवारों के लिए, समुचित प्राधिकरण द्वारा मंजूर या अनुमोदित की गई कुल सीटों की संख्या से है ;

(ब) " पणधारी " का तात्पर्य, प्रबंधमंडल, संबंधित संस्थाओं में अध्ययन करनेवाले छात्रों और उनके माता-पिताओं से है ;

(भ) " असहायताप्राप्त संस्था " का तात्पर्य, किन्हीं निजी वृत्तिक शिक्षा संस्था से है, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से अनुदान या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं करते हैं ;

सन् १९५६ का ३।

(म) " विश्वविद्यालय " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २ के खण्ड (च) में उसे जो समनुदेशित है वही अर्थ होगा ।

अध्याय दो

प्रवेशों के विनियमन

प्रवेश के लिए पात्रता।

३. (१) किन्हीं निजी वृत्तिक शिक्षा संस्था में वृत्तिक पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए पात्रता शर्तें और आवश्यकताएँ, सरकार द्वारा समय-समय से अधिसूचित ऐसी होगी, किंतु समुचित प्राधिकरण द्वारा उनसे अनुबद्धता कम नहीं होंगी ।

(२) कोई छात्र, निजी वृत्तिक शिक्षा संस्था में प्रवेश नहीं लेगा, जब तक कि छात्र अधिसूचित की जाये ऐसी शैक्षणिक या समतुल्य अर्हता से संपन्न न हो।

(३) असहायताप्राप्त शिक्षा संस्था, जैसा की विहित किया जाए ऐसी प्रक्रिया के ज़रिए छात्रों को प्रवेश देगी ।

प्रवेश की पद्धति।

४. प्रत्येक असहायताप्राप्त संस्था में वृत्तिक पाठ्यक्रम के लिए सीटों के प्रवेश निम्न रीत्या में पूरे किए जाएँगे :—

(क) निजी वृत्तिक शिक्षा संस्था में सीटों के लिए प्रवेश, सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित संस्थात्मक कोटा को छोड़कर, गुणानुक्रम के आधार पर नियमों में यथाविहित रीत्या में, सामान्य प्रवेश परीक्षा सीईटी की प्रक्रिया के अनुसरण द्वारा किये जायेंगे :

परंतु, संस्थागत कोटा के लिए प्रवेश, गुणागुण के आधार पर और समुचित प्राधिकारी द्वारा निम्न विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के पश्चात् किया जायेगा।

परंतु, आगे यह कि, राज्य सरकार, किन्हीं वृत्तिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर, उसकी आवश्यकता से सामान्य प्रवेश परीक्षा सीईटी समय-समय पर जारी आदेश द्वारा कर सकेगी।

(ख) ऐसी संस्था में प्रवेश, सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी,) और, केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया (सीएपी) के आधार पर, सक्षम प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया के ज़रिए पूरे किये जायेंगे।

(ग) सक्षम प्राधिकरण, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रीत्या में छात्रों की संपूर्ण केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया को, उचित, पारदर्शी, गुणानुक्रम आधारित और अशोषित करने की सुनिश्चिति की दृष्टि के साथ, पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करेगा।

अनियमित प्रवेश शून्य होंगे।

५. इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करनेवाले कोई प्रवेश शून्य होंगे । :—

सीटों का आबंटन तथा आरक्षण।

६. (१) असहायताप्राप्त वहीं संस्था में विभिन्न प्रवर्गों के अधीन सीटों का आबंटन, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था नहीं है, वहाँ महाराष्ट्र निजी वृत्तिक शिक्षा संस्था (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निराधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) खानाबदोश जनजाति तथा अन्य पिछड़े प्रवर्गों के प्रवेश के लिए सीटों का आरक्षण) अधिनियम, २००६ के अनुसरण में और **एनआरआय** कोटे समेत समय-समय से घोषित, सरकारी नीति के अनुसार होगा। सन् २००६ का महा. ३०।

(२) किसी असहायताप्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था में प्रवेश, राज्य सरकार की नीति के अनुसार दिए जायेंगे और मंजूर की गई क्षमता के इकावन प्रतिशत से कम नहीं, इतनी सीटे, सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) और केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के आपसी गुणों के आधार पर, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित जो संस्था संबंध रखती है, राज्य के भीतर के अल्पसंख्यक छात्रों में से भर दी जायेंगी :

परंतु, यदि कोई सीटें अकादमिक वर्ष में अल्पसंख्यक प्रवर्ग के लिए चिन्हांकित किसी असहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था में भरी जानी बाकी है या जहाँ चयन के बाद छात्र ने संस्था छोड़ी है, तो भरी न गई रिक्त सीटें, जो संस्था अल्पसंख्यक से संबंधित है उसमें अल्पसंख्यक से भरने के लिए, में राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकरण को अभ्यर्पित की जायेगी जो कि धारा १० की उप-धारा (४) के उपबंधों के अनुसरण में संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) और केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया (सीएपी) के आपसी गुणों के आधार पर की सूची से होगी :

परंतु यह भी कि, यदि बाकी रही गई सीटें उसके पश्चात् भी भरी नहीं जाती है, तो ऐसी भरी नहीं गई सीटें, संस्था के सक्षम प्राधिकरण द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा (सी ई टी) और, केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा (सी ए पी) के गुणानुक्रम के आधार पर सामान्य प्रवर्ग के छात्रों से भरी जायेंगी।

परंतु यह भी कि, यदि ऐसी संस्था अपने तीन क्रमवर्ती वर्षों की अवधि के लिए संबंधित अल्पसंख्यक से संबंधित व्यक्तियों से उसकी मंजूर की गई क्षमता के न्यूनतम इक्यावन प्रतिशत प्रवेश देने में विफल रहती है तो सक्षम प्राधिकरण राष्ट्रीय आयोग अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था अधिनियम, २००४ की धारा १२ ग के अधीन कार्यवाही करने के लिये ऐसी संस्था का ज़िक्र करने के लिए राज्य सरकार को सूचित करेगा।

सन् २००५ का २।

अध्याय तीन

प्रवेश विनियामक प्राधिकरण और राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षा कक्ष

प्रवेश विनियमन प्राधिकरण का गठन और उसके कृत्य।

७. (१) इस अधिनियम के अधीन, प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग और उसे समनुदेशित कार्यों के निर्वहन के लिए "प्रवेश विनियमन प्राधिकरण" नामक एक प्राधिकरण होगा।

(२) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, उप-धारा (१) के अधीन प्राधिकरण गठित करेगी। उक्त प्राधिकरण निगमित निकाय होकर उसे उपरोक्त नाम का शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, तथा उसे स्थावर और जंगम दोनों संपत्ति को अर्जित करने, धारण करने तथा निपटान करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी बाते करने की शक्ति प्राप्त होगी और उसके नाम द्वारा वह वाद चलायेगा या उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

(३) प्राधिकरण में, निम्न सम्मिलित होंगे,—

(क)	उच्च न्यायालय के निवृत्त न्यायाधीश या मुख्य सचिव की श्रेणी के सरकार के निवृत्त अधिकारी।	:	अध्यक्ष
(ख)	एक प्रतिष्ठित विख्यात शिक्षाविद्, जो विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य कर चुका हो।	:	सदस्य
(ग)	वृत्तिक शिक्षा क्षेत्र से विख्यात एक विशेषज्ञ।	:	सदस्य
(घ)	रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक।	:	सदस्य
(ङ)	तकनीकी शिक्षा के निदेशक।	:	सदस्य
(च)	उच्चतर शिक्षा के निदेशक।	:	सदस्य
(छ)	महाराष्ट्र कृषी शिक्षा तथा अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव।	:	सदस्य
(ज)	राज्य सीईटी के आयुक्त।	:	सदस्य-सचिव।

(४) उप-धारा (३) के खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जायेगी ।

(५) कोई व्यक्ति, जो किन्हीं निजी सहायताप्राप्त या असहायताप्राप्त वृत्तिक शिक्षा संस्था से सम्बद्ध हो, वह प्रवेश विनियमन प्राधिकरण का सदस्य होने के लिए पात्र नहीं होगा ।

(६) प्रवेश विनियमन प्राधिकरण का सदस्य, यदि कोई कार्य करे, जो राज्य सरकार की राय में अशोभनीय है, तो प्राधिकरण का सदस्य बनने से परिविरत किया जायेगा।

(७) अध्यक्ष, प्रवेश विनियमन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करेगा और प्राधिकरण, जैसा आवश्यक समझें, विनियमों द्वारा उसकी अपनी प्रक्रिया अपना सकेगा।

(८) प्रवेश विनियामक प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल किसी रिक्ति में या उसके गठन में किसी त्रुटि के कारण द्वारा अमान्य नहीं समझी जाएगी ।

प्रवेश विनियमन प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।

८. (१) प्रवेश विनियमन प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, उनके नामनिर्देशन के दिनांक से पाँच वर्षों की होगी और किसी कारण पहले ही रिक्ति उद्‌भूत होने के मामले में, ऐसी रिक्ति अवधि के शेष कालावधि के लिये भरी जायेंगी।

(२) प्रवेश विनियमन प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगे ।

(३) अध्यक्ष या सदस्य, सरकार को संबोधित करके लिखित में पदत्याग कर सकेंगे और ऐसे पदत्याग की स्वीकृति होने पर, उसका पद रिक्त होगा और रिक्ति, रिक्ति होने के दिनांक से तीन महीने की अवधि के भीतर भरी जायेगी।

(४) प्रवेश विनियमन प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य, यदि वह ऐसा कार्य करे, जो सरकार की राय में, ऐसे प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य को अशोभनीय हो, तो हटा दिये जायेंगे। इस प्रकार हटाया गया अध्यक्ष या सदस्य ऐसे प्राधिकरण पर पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु, कोई अध्यक्ष या सदस्य, उसे सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना, प्रवेश विनियमन प्राधिकरण से हटाया नहीं जायेगा।

(५) प्रवेश विनियमन प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को अदा किया जानेवाला वेतन और भत्तें, सरकार द्वारा, समय-समय से, भविष्यलक्षी या भूतलक्षी दोनों यथा अधिसूचित की जायेगी।

(६) व्यक्ति, प्रवेश विनियमन प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये अनर्ह होगा, यदि ऐसा व्यक्ति,–

(एक) किसी निजी वृत्तिक शिक्षा संस्था में कोई पद, स्थान धारण करता है या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी मार्ग में संबंधित या सहबद्ध है ;

(दो) किसी अपराध, सरकार की राय में, वह ऐसी नैतिक अधमता से ग्रस्त हो, जिसके लिये उसे दोषी ठहराया गया है और कारावास के लिए दण्डादेशित किया गया हो ;

(तीन) उन्मुक्त दिवालिया हो ;

(चार) विकृत चित्त का हो और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया हो ;

(पाँच) सरकार या सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित निगमित निकाय की सेवा से हटाया या निकाला गया हो ।

(छह) सरकार की राय में ऐसा वित्तीय या अन्य हित जो कि सदस्य के रूप में उसके द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना है ; या

(सात) विहित किये जाये ऐसी अन्य अनर्हता है।

(७) अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें यथाविहित होंगी ।

प्रवेश विनियमन प्राधिकरण के कृत्य, शक्तियाँ और प्रक्रिया ।

९. (१) प्रवेश विनियमन प्राधिकरण के कृत्य,–

(एक) इस अधिनियम के अधीन स्थापित सीईटी कक्ष के ज़रिए सीईटी संचालित करना और मॉनिटरींग करना ।

(दो) प्रवेश प्रस्तावों के सत्यापन और उनके अंतिम अनुमोदन ;

(तीन) यदि, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत हो तो प्रवेश का रद्‌दकरण ;

(चार) पणधारियों से शिकायत प्रतितोष ।

(२) प्रवेश विनियमन प्राधिकरण की, इस अधिनियम के अधीन इसके कार्यों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिये, निम्न शक्तियाँ होगी, अर्थात् :–

(एक) असहायताप्राप्त संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश से संबंधित पणधारियो में से वाद पर निर्णय लेना ;

(दो) प्रवेश प्रस्तावों की जाँच और शिकायत प्रतितोष यंत्रणा से संबंधित जैसा आवश्यक समझें, उसकी अपनी प्रक्रिया विहित करना ;

(तीन) उन्हें, जो इसके निर्णय द्वारा प्रतिकूल प्रभावित होने की संभावना है, सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, असहायताप्राप्त संस्थाओं की प्रवेश प्रक्रिया अनुचित, अपारदर्शी और शोषक है, इसलिये अविधिमान्य है, की घोषणा करना ;

(चार) प्रवेश जो अधिनियम के उल्लंघन में किये है, के लिये संस्था की सहबद्धता या मान्यता हटाने के लिये संबंधित सहबद्ध विश्वविद्यालय या, बोर्ड या ऐसे प्राधिकरण की सिफारिश करना ।

(३) इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक पर विद्यमान **प्रवेश नियंत्रण समिती** की उप-धारा (१) और (२) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, है जब तक ऐसा प्राधिकरण है तब तक इस अधिनियम के अधीन सम्यक्तया गठित प्रवेश विनियामक प्राधिकरण की शक्तियों का निरंतर प्रयोग किया जाएगा ।

(४) इसके कार्यों के निर्वहन और इस अधिनियम के अधीन कोई जाँच करने के प्रयोजन के लिये, प्रवेश विनियमन प्राधिकरण को वाद के दौरान, निम्न मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :—

सन् १९०८ का ५ ।

(एक) किन्हीं साक्ष्यी की हाजिरी के लिये समन देना और बाध्य करना और उसका शपथ पर परीक्षण करना ;

(दो) किसी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुत करना ;

(तीन) शपथपत्रों पर साक्ष्यों की प्राप्ति ;

(चार) साक्षियों के परीक्षण के लिये कमीशन जारी करना ;

(५) इस अधिनियम के अधीन, अपने कृत्यों के कार्यान्वयन में, प्राधिकरण और प्रत्येक असहायताप्राप्त संस्था निम्न प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, अर्थात् :—

(एक) प्रत्येक असहायताप्राप्त संस्था, प्रवेश के अंतिम दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर, संबंधित निदेशक को प्रवेश अनुमोदन प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी ;

(दो) प्रत्येक संस्था, ऐसे प्रमाणन के दिनांक से दो महिनों के भीतर, प्रवेश विनियमन प्राधिकरण को संबंधित निदेशक द्वारा प्रमाणित ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी ;

(तीन) प्रवेश विनियमन प्राधिकरण द्वारा संस्था से प्राप्त प्रत्येक ऐसा प्रस्ताव, प्रत्येक वर्ष के ३१ जनवरी के पूर्व जाँच और अनुमोदित किया जायेगा ;

(चार) प्रवेश से संबंधित कोई शिकायत प्राधिकरण के समक्ष दाखिल की जायेगी और पखवाडे के भीतर और अंतिम दिनांक से पूर्व निर्णित की जायेगी ;

(पाँच) प्रवेश विनियमन प्राधिकरण को, विस्तृत में कारणों के साथ उसके अपने आदेश पुनरिक्षित करने की शक्ति होगी ;

(छह) प्रवेश विनियमन प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही, किसी रिक्ति, के कारण या उसके गठन में किसी दोष द्वारा अमान्य नहीं समझी जायेगी ;

(सात) प्रवेश विनियमन प्राधिकरण विनियमनों द्वारा, प्रवेश प्रस्तावों की जाँच और शिकायत प्रतितोष यंत्रणा, जैसा वह आवश्यक समझे, से संबंधित उसकी प्रक्रिया विहित करेगा ।

राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षा कक्ष तथा उसके कृत्य ।

१०. (१) एक राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षा कक्ष होगा ।

(२) राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षा कक्ष की, राज्य सीईटी आयुक्त के रुप में संयुक्त सचिव की श्रेणी के अधिकारी द्वारा प्रमुखता होगा और प्रवेश विनियमन प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन कार्यरत होगा ।

(३) आयुक्त, राज्य सरकार के संयुक्त निदेशक की श्रेणी के अधिकारी द्वारा, चिकित्सा, तकनीकी, कृषि, उच्चतर शिक्षा आदि क्षेत्रों में सहायता करेगा ।

(४) असहायताप्राप्त संस्था के लिये सामान्य प्रवेश परीक्षा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा संचालित करेगा :

परंतु, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के प्राधिकरणों द्वारा संचालित सीईटी के ज़रिए ऐसे प्रवेश को मंजूरी दे सकेगी।

(५) कक्ष को जैसा कि विहित की जाये ऐसी रित्या में ऐसी शक्तियाँ होगी और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा और परीक्षाएँ संचलित करेगा ।

(६) कक्ष, आवश्यक गोपनीयता के रखरखाव के लिए उचित रित्या में सामान्य प्रवेश परीक्षा के संचालन के संबंध में सभी निर्णय लेगा । वह परीक्षा, मूल्यांकन और परिणाम प्रक्रिया के संचालन के लिए आवश्यक सॉफ्टवेअर विकास समनुदेशन के लिए परीक्षक, मूल्यांकनकर्ता, अनुसीमक तथा व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा, और ऑनलाईन या ऑफलाईन परीक्षा, दस्तावेजों का मुद्रण आदि संचालित करने के लिये आवश्यक सेवा मुहैय्यादारों के रूप में भी व्यक्तियों को नियुक्त करेगा। सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) के संचालन के लिये संबंधित सभी क्रियाकलापों के निष्पादन के लिये वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(७) संस्थात्मक कोटा छोडकर प्रत्येक सीट के लिये प्रवेश, राज्य की आरक्षण नीति के अध्यधीन, केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया के अनुसरण द्वारा सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) में प्राप्त किये गुणानुक्रम के आधार पर किया जायेगा :

परन्तु, इस उप-धारा की कोई भी बात केंद्रिकृत प्रवेश परीक्षा को लागू नहीं होगी, जो अकादमिक वर्ष २०१५-२०१६ के लिये संचालित की गई हैं ।

अध्याय चार

फीस का विनियमन

फीस विनियामक प्राधिकरण ।

११. (१) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग और उसे समनुदेशित कार्यों के निर्वहन के लिये एक " फीस विनियमन प्राधिकरण " नामक एक प्राधिकरण होगा ।

(२) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, उप-धारा (१) के अधीन, प्राधिकरण गठित करेगी । उक्त प्राधिकरण निगमित निकाय होकर उसे उपरोक्त नाम का शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे स्थावर तथा जंगम दोनों संपत्ति को अर्जित करने, धारण करने और निपटान करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक सभी बाते करने की शक्ति होगी और उसके नाम द्वारा वह वाद चलायेगा या उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

(३) प्राधिकरण में निम्न सम्मिलित होंगे,–

(क)	उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या प्रधान मुख्य सचिव की श्रेणी के सरकार के निवृत्त अधिकारी। . .	अध्यक्ष
(ख)	एक प्रतिष्ठित विख्यात शिक्षाविशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय के कुलपति के रुप में कार्य कर चुका हो। . .	सदस्य
(ग)	विख्यात चार्टर्ड अकाऊंटेंट, जो दस वर्षों से कम न हो अवधि के लिये, भारत के चार्टर्ड अकाऊंटेंट संस्था का सदस्य है। . .	सदस्य
(घ)	विख्यात लागत अकाऊंट, जो दस वर्षों से कम न हो की अवधि के लिये भारतीय लागत और कार्य लेखा का सदस्य है, या विख्यात वित्तीय विशेषज्ञ है। . .	सदस्य

(ङ) वृत्तिक शिक्षा संस्था के क्षेत्र से कोई विख्यात विशेषज्ञ । . . सदस्य

(च) रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र स्वास्थ विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक। . . सदस्य

(छ) तकनीकी शिक्षा का निदेशक। . . सदस्य

(ज) उच्चतर शिक्षा का निदेशक। . . सदस्य

(झ) महाराष्ट्र कृषि शिक्षा तथा अनुसंधान परिषद के सदस्य-सचिव। . . सदस्य

(त्र) संयुक्त सचिव की श्रेणी से कम न हो का राज्य सरकार का एक अधिकारी । . . सदस्य सचिव ।

(४) उप-धारा (३) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ड़) के अधीन अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जायेगी ।

(५) कोई व्यक्ति जो किन्हीं निजी सहायताप्राप्त या असहायताप्राप्त वृत्तिक शिक्षा संस्था से सहबद्ध है, फीस विनियमन प्राधिकरण का सदस्य होने से पात्र नहीं होगा ।

(६) फीस विनियमन प्राधिकरण का सदस्य का यदि कोई कार्य, राज्य सरकार की राय में, अशोभनीय है तो प्राधिकरण का सदस्य बनने से उसे परिविरत किया जायेगा ।

(७) अध्यक्ष, फीस विनियमन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करेगा और प्राधिकरण जैसा आवश्यक समझे, विनियमों द्वारा उसकी अपनी प्रक्रिया अपना सकेगा ।

(८) फीस विनियमन प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही, किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी दोष के कारण केवल अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी ।

फीस विनियमन प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्ते।

१२. धारा ८ के उपबंध, **यथावश्यक परिवर्तन सहित** फीस विनियमन प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा पदावधि और सेवा शर्तों के संबंध में लागू होंगे ।

फीस विनियमन प्राधिकरण के कृत्य शक्तियाँ, तथा प्रक्रिया ।

१३. (१) फीस विनियमन प्राधिकरण निम्न कृत्यों का प्रदर्शन करेगा, अर्थात् :–

(एक) धारा १५ में विनिर्दिष्ट घटकों के आधार पर, असहायता प्राप्त संस्था के उद्ग्रहित फीस का तर्कसंगत निर्धारण करना ; और महाराष्ट्र शैक्षिक संस्था (कॅपिटेशन फीस का प्रतिषेध) अधिनियम १९८७ की धारा (२) का खंड (क) के अर्थांतगत कॅपिटेशन फीस की मुनाफा खोरी या प्रभारित रकम में उद्ग्रहित नहीं है उस फीस को सत्यापित करना ;

सन् १९८८ का महा. ६।

(दो) असहायताप्राप्त संस्थाओंकी फीस प्रस्तावों की जाँच करना तथा सत्यापन करना और उसे अंतिम अनुमोदन देना ;

(तीन) मूलभूत सुविधाओं और सुखसुविधाओं के सत्यापन के लिये यंत्रणा तैयार करना और ऐसी सुविधाओं और सुखसुविधाओं के सत्यापन उपक्रमित करना ;

(चार) संबंधित समुचित प्राधिकरण के अनिवार्य मार्गदर्शक तत्वों के अनुसरण में, असहायता प्राप्त संस्थाओं के लिये, प्रत्येक छात्रों पर किया गया वृत्तिक पाठ्यक्रमवार आवश्यक व्यय के निर्धारण के लिये, फीस विनियमन प्राधिकरण, जैसा कि आवश्यक समझे ऐसे अन्तराल पर अनुसंधान अध्ययन उपक्रमित करना ; और

(पाँच) पणधारियों के शिकायतों के परितोष के लिए उपायों को उपक्रमित करना ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में, फीस विनियमन प्राधिकरण के पास निम्न शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :—

(एक) फीस प्रस्ताव की जाँच तथा सत्यापन करना और उसका अंतिम अनुमोदन करना ।

(दो) मूलभूत सुविधाओं, सुखसुविधाओं के सत्यापन की यंत्रणा तैयार करना और असहायता प्राप्त संस्थाओं में उसका सत्यापन करवाना ।

(तीन) पणधारियों के शिकायत का प्रतितोष करना ।

(३) इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक पर विद्यमान **शुल्क नियंत्रण समिति** की उप-धारा (१) और (२) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सम्यक्तया गठित जब तक ऐसा प्राधिकरण है तब तक प्रवेश विनियामक प्राधिकरण की शक्तियों का निरंतर प्रयोग किया जाएगा ।

(४) उसके कार्यों के निर्वहन में, और इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच के प्रयोजन के लिए, फीस विनियमन प्राधिकरण को वाद के विचारण दौरान, निम्न मामलों के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :— सन् १९०८ का ५ ।

(एक) किसी साक्षीयों को समन करना और उपस्थित रहने के लिये बाध्य करना और शपथ-पत्र पर उसकी जाँच करना ;

(दो) किन्हीं दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुत करना ;

(तीन) शपथपत्रों पर साक्ष्य की प्राप्ति ;

(चार) साक्षियों के परीक्षण के लिये कमीशन जारी करना ।

(५) फीस विनियमन प्राधिकरण छात्रों के फीस वसूली के मुकाबले संस्थाओं द्वारा उपबंधित मूलभूत सुविधाओं और सुखसुविधाओं की जाँच के लिये अधिकारियों की उड़ान पूछताछ समिति गठित कर सकेगी।

फीस विनियमन प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत की जानेवाली प्रक्रिया।

१४. (१) फीस संरचना के युक्तियुक्तता के अवधारण में निम्न उपबंध लागू होंगे :—

(क) असहायताप्राप्त संस्थाओं का प्रबंधमंडल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का संपरीक्षित लेखा, चालू वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रस्तावित बजट और पूर्ववर्ती अकादमिक वर्ष के ३१ अक्तूबर के बाद का न हो, उसके अनुमोदन के लिये फीस विनियमन प्राधिकरण को सुसंगत अभिलेख और सबूत के साथ प्रस्तावित फीस के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा ;

(ख) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा से फीस विनियमन प्राधिकरण को फीस के बढ़नेवाले पुनरीक्षण के लिये प्रस्ताव के अप्रस्तुतीकरण की दशा में, प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित फीस संरचना और पूर्ववर्ती अकादमिक वर्ष के दौरान प्रयुक्ति हेतु लागू होने के लिये जारी होगा ;

(ग) फीस विनियमन प्राधिकरण प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव की संवीक्षा के लिये अलग संवीक्षा कक्ष स्थापित करेगा ;

(घ) सभी सुसंगत घटकों को ध्यान में लेने के पश्चात्, फीस विनियमन प्राधिकरण प्रस्तावित फीस के ब्यौरे की प्राप्ति की दिनांक से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर, फीस अनुमोदित करेगा और इस प्रकार अनुमोदित फीस का ब्यौरा संसूचित करेगा ;

(ङ) यदि फीस विनियमन प्राधिकरण द्वारा, अनुमोदित फीस संस्था को स्वीकार्य नहीं है तब, संसूचना के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर अपने निर्णय के पुनर्विलोकन के लिये फीस विनियमन प्राधिकरण के समक्ष ब्यौरे के कारणों का पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत करेगा । फीस विनियमन प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष ३१ मार्च के पूर्व ऐसे पुनर्विलोकन आवेदन का विनिश्चय करने के लिये अनिवार्य किया जायेगा और तद्नुसार, संबंधित संस्था को अपना निर्णय संसूचित करेगा ;

(च) फीस विनियमन प्राधिकरण, फीस प्रस्तावों और जैसा वह उचित समझे शिकायत राहत यंत्रणा की संवीक्षा संबंधी अपनी प्रक्रिया विहित करेगा ।

(२) फीस विनियमन प्राधिकरण का निर्णय लंबित रहने पर संस्था का प्रबंधमंडल फीस विनियमन प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट अकादमिक वर्ष के लिये अंतिम घोषणा होने तक अंतरिम या, यथास्थिति, तदर्थ फीस संग्रहण के लिये स्वतंत्र होगा ।

(३) फीस विनियमन प्राधिकरण विभिन्न शीर्ष दर्शायेगा, जिसके अधीन फीस उद्ग्रहित की जायेगी ।

(४) प्रत्येक संस्था फीस विनियमन प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित पाठ्यक्रमवार फीस अपने सूचना फलक पर और मराठी तथा अँग्रेजी में अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगी, परन्तु, भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं के मामले में अल्पसंख्यक भाषा में ऐसी संस्था जिससे संबंधित है उसमें भी प्रदर्शित की जाएगी और छात्रों तथा संस्थाओं पर बाध्यकारी की जायेगी ।

(५) कोई संस्था, किसी अकादमिक वर्ष में उम्मीदवार से एक वर्ष की फीस से अधिक फीस रक़म संग्रहित नहीं करेगी और किसी अकादमिक वर्ष में एक वर्ष से अधिक वर्ष की फीस का संग्रहण कॅपिटेशन फीस के संग्रहण के रुप में उसका अर्थ लगाया जायेगा और ऐसी संस्था के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिये दायी किया जायेगा ।

(६) फीस विनियमन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित और संसूचित फीस उम्मीदवार के संबंध में जो संस्था को उस अकादमिक वर्ष में स्वीकृत है, तो लागू की जायेगी और संबंधित संस्था में ऐसे छात्रों का पाठ्यक्रम पूरा होने तक पुनरीक्षित नहीं की जायेगी ;

परंतु यह कि, असहायताप्राप्त संस्था, फीस विनियमन प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन से जैसे करों में पुनरीक्षण, नियमित व्यय में पुनरीक्षण आदि जैसे पुनरीक्षण के आधार पर, अगले या पश्चात्वर्ती वर्ष के संबंधी में पुनरीक्षण करेगा ।

फीस संरचना के अवधारण के लिए घटक।

१५. फी विनियमन प्राधिकरण प्रत्येक वृत्तिक पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों के समूह के संबंध में प्रत्येक असहायताप्राप्त संस्था द्वारा प्रस्तावित फी संरचना के औचित्य निर्धारण करके निम्न घटकों का विचार करेगा,—

(एक) संस्था का स्थान (नगरी/ग्रामीण) ;

(दो) भूमि तथा भवन की लागत ;

(तीन) समुचित प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट आवश्यक न्यूनतम मुलभूत सुविधा या सुखसुविधाएँ अनिवार्य ;

(चार) सुविधाओं तथा सुखसुविधाओं पर प्रस्तावित या उपगत खर्च समुचित प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य नहीं है ;

(पाँच) समुचित प्राधिकरण के विहित मानकों के अनुसार अर्हताप्राप्त नियमित रुप से नियुक्त किए गए अध्यापन तथा अध्यापनेतर कर्मचारीवृंद की उपलब्ध संख्या ;

(छह) अध्यापन तथा अध्यापनेतर कर्मचारीवृंदों के विहित वेतनों पर व्यय ;

(सात) प्रशासन तथा अनुरक्षण पर खर्च ;

(आठ) उसके द्वारा संचालित वृत्तिक पाठ्यक्रम के विशिष्ट संदर्भ के साथ संस्था की वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक पर्याप्त राजस्व अधिशेष जो वृत्तिक पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम के समूह के संबंध में शैक्षणिक राजस्व के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(नौ) वृत्तिक पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए, सरकार द्वारा उपबंधित सुविधाएँ जैसे कि रियायती दरों में भूमि के पट्टे और उसकी मुलभूत सुविधा के उपयोग ;

(दस) संपत्ति प्रतिस्थापन निधि के लिए अवमूल्यन या अंशदान ;

(ग्यारह) भवन का भाटक या उपयोग के प्रभार ;

(बारह) दरजा वृद्धि के लिए प्रोत्साहन, जैसे कि,—

(क) संस्था द्वारा दाखिल अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं और पेटेंट में पी.एच.डी. अर्हताओं तथा अनुसंधान प्रकाशनों के साथ सशक्त संकाय ;

(ख) संकाय प्रशिक्षण तथा छात्रों का स्थापन ;

(ग) पात्र कार्यक्रमों या संस्था के प्रत्यायन जैसे कि, एनबीए, एनएबीईटी, एनएएसी, आदि ;

(तेरह) दर का मुद्रास्फीति ;

(चौदह) कोई अन्य संबंधित तथ्य, जो फीस विनियमन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाए ।

विनियमन प्राधिकरणों की निधियाँ।

१६. (१) प्रत्येक विनियमन प्राधिकरण की एक अलग निधि होगी ।

(२) उक्त प्राधिकरणों की निधियाँ निम्न से मिलकर होंगी,—

(एक) निजी वृत्तिक शिक्षा संस्था द्वारा देय फीस प्रक्रिया ;

(दो) जमा राशियों पर ब्याज ;

(तीन) राज्य सरकार, केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यदि कोई हो) तथा अन्य संस्थाओं से अनुदान ।

(३) विनियमन प्राधिकरण, उक्त प्राधिकरण द्वारा, समय-समय से विनिश्चित किये जाये ऐसे, सी.ई.टी. के संचालन के लिये प्रक्रिया शुल्क और फीस के नियतन के लिये प्रभार प्रभारित कर सकेगा। प्रत्येक वर्ष के लिए फीस प्रक्रिया, संबंधित प्राधिकरण द्वारा जैसा कि निर्धारित किया जाए, उनके दिन प्रतिदिन के खर्च का विचार करते हुए वेतन, भत्ते, प्रशासनिक व्यय, मानदेय, मुलभूत जरुरतों समेत तथा उसके कृत्यों के अनुसरण में कोई अन्य क्रियाकलाप आदि ।

(४) संबंधित प्राधिकरण, राष्ट्रीयकृत बैंक में स्वतंत्र बैंक खाता खोलेगा और प्राप्तियों से उनके खर्च पूरे करेंगे ।

अध्याय पाँच

प्राधिकरणों के अभिलेखों का लेखा तथा अनुरक्षण

लेखों का अनुरक्षण।

१७. विनियमन प्राधिकरण, जैसा कि विहित किया जाए ऐसे प्ररुप में उनके संबंधित लेखों को बनाये रखेंगे ।

लेखा-परीक्षा।

१८. विनियमन प्राधिकरणों का लेखा, लेखा नियंत्रक तथा भारत के महालेखापरीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष संपरीक्षित किया जायेगा और उसकी रिपोर्ट उसके पश्चात्, होनेवाले अनुवर्ती सत्र में विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेंगी।

विनियमन प्राधिकरणों के क्रियाकलापों की रिपोर्ट।

१९. विनियमन प्राधिकरण, जैसा कि विहित किया जाए, ऐसे प्ररुप में तथा ऐसे समय के भीतर पूर्व वित्तीय वर्ष के उसके क्रियाकलाप के संबंध में उसकी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार, ऐसी रिपोर्ट उसके पश्चात् होनेवाले अनुवर्ती सत्र में राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी ।

अध्याय छह

शास्तियाँ

शास्तियाँ। **२०.** (१) विनियमन प्राधिकरण यदि उसकी राय में कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को शास्ति के भुगतान का निर्देश दे सकेगा—

(क) पहले उल्लंघन के लिए, जो एक लाख रुपये से कम नहीं किंतु जो पाँच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या इस अधिनियम के अधीन यथा अवधारित फीस की अधिकता में ली जानेवाली दुगुनी रकम, जो भी अधिक हो ;

(ख) दूसरे या पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए, दो लाख रुपये से कम नहीं किंतु जो दस लाख रुपये तक बढ़ायी जा सकती है या इस अधिनियम के अधीन यथा अवधारित फीस की अधिकता में ली जानेवाली दुगुनी रकम, जो भी अधिक हो ।

(२) जो कोई भी, गलत सूचना, जालसाजी और नकली लेखा किताबें, छलपूर्ण दस्तावेज, कोई अनुचित क्रियाकलाप और ऐसे अन्य साक्ष्य आदि प्राधिकरण को मुहैया करता है, इस अधिनियम में चाहे हो या न हो फायदा या लाभ हुआ है तो उक्त अपराध किया गया है, तो दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कारावास से दण्डित किया जायेगा जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकेगा ।

(३) अपराध, उप-धारा (२) के अधीन संज्ञेय होगा ।

(४) इस धारा के अधीन यदि पूछताछ के दौरान यह पाया जाता है कि, संस्था ने प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित जिन अधिकतर फीस को प्रभारित किया है, तो ऐसे फीस संबंधित छात्र को वापस की जायेगी ।

(५) दोषसिध्दि या अनियमितता की पुनरावृत्ति पर, संस्था का नाम संबंधित प्राधिकरण से संबंधन या अनुमोदन के प्रत्याहरण के लिए सिफारिश की जाएगी ।

(६) जहाँ इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रबंधन द्वारा अपराध या अनियमितता की जाती है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो जब अपराध या अनियमितता घटित होने के समय पर उसका प्रभारी था और उसके लिए जिम्मेदार था, तब प्रबंधन के संव्यवहार के आचरण के लिए उसके साथ ही साथ प्रबंधन, अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और दण्डित किया जाएगा :

परंतु, इस उप-धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के न होते हुए भी, दण्ड के लिए कोई व्यक्ति दायी होता है, यदि वह यह साबित करता है कि अपराध उसके जानकारी के बिना हुआ था या उसने ऐसे अपराध की रोकथाम के लिए सम्यक् प्रयास किए थे।

(७) उप-धारा (६) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कोई अपराध इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रबंधन द्वारा किया जाता है और यह साबित करता है कि अपराध संगत या सुविधा के साथ किया गया है या अपराध संबंधित किसी पदधारक, अधिकारी या सेवक की किसी नजरअंदाजी के कारण हुआ है तो भी उस अपराध को दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार, उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी और दण्डित किया जाएगा ।

अध्याय सात

विविध

सद्‌भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण ।

२१. इस अधिनियम के उपबंधों या नियमों और तद्‌धीन बनाये गये विविध विनियमों के अनुसरण में सद्‌भावनापूर्वक कृत या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, किसी प्राधिकरण या प्राधिकरणों के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध कोई वाद या अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं चलायी जायेगी ।

निदेश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति।

२२. राज्य सरकार, विनियमन प्राधिकरणों को, जैसे कि उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों के निर्वहन के लिए या उसमें अंतर्विष्ट किन्हीं उपबंधों या किन्हीं नियमों या तद्‌धीन बनाये गये आदेशों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या इष्टकर हो, इस अधिनियम के उपबंधों और तद्‌धीन बनाये गये के नियमों से, सुसंगत ऐसे सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

२३. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र में,** अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए, चाहे एक सत्र में हो या दो या इससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो को मिलाकर हो, रखा जाएगा, और यदि उस सत्र के, जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या सद्य अनुवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन किसी नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम नहीं बनाया जाए, और ऐसे विनिश्चय को **राजपत्र में** अधिसूचित करते हैं, तो नियम **राजपत्र में** अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से ऐसे विनिश्चिय के उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जाएगा ; तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई या करने से छोड़ी गई किसी बात की विधिमान्यता प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

२४. विनियमन प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के अनुपालन के लिए इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के साथ सुसंगत विनियम बना सकेगी ।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

२५. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में, यदि कोई कठिनाई उद्‌भत होती है, तो राज्य सरकार, **राजपत्र में** प्रकाशित किसी आदेश द्वारा, जैसा अवसर उद्‌भूत हो, इस अधिनियम के उपबंधों से अनुसंगत ऐसी बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो ।

परंतु, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, ऐसा कोई भी आदेश नहीं बनाया जाएगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा ।

सन् २०१५ का महा. अध्या. ७ का निरसन तथा व्यावृत्ति ।

२६. (१) महाराष्ट्र असहायताप्राप्त निजी वृत्तिक शिक्षा संस्था (प्रवेश तथा फीस का विनियमन) अध्यादेश, २०१५, एतद्‌द्वारा, निरसित किया जाता है । सन् २०१५ का महा. अध्या. ७ ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जाएगी ।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXIX OF 2015.

THE MAHARASHTRA UNIVERSITIES (TEMPORARY POSTPONEMENT OF ELECTIONS OF MEMBERS OF UNIVERSITY AUTHORITIES AND OTHER BODIES) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राजपाल की अनुमति दिनांक १४ अगस्त, २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
प्रभारी सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXIX OF 2015.

AN ACT TO PROVIDE FOR TEMPORARY POSTPONEMENT OF ELECTIONS TO AUTHORITIES AND BODIES OF CERTAIN NON-AGRICULTURAL AND NON TECHNOLOGICAL UNIVERSITIES IN THE STATE OF MAHARASHTRA.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९ सन् २०१५।

(जो कि राजपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक १७ अगस्त, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में कतिपय कृषिकेतर और प्रौद्योगिकेतर विश्वविद्यालयों के प्राधिकरणों तथा निकायों के निर्वाचनों के अस्थायी स्थगन का उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

सन् १९९४ का महा. ३५।

क्योंकि महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ अन्यों में से विश्वविद्यालय में निर्वाचित सदस्यों से बने विभिन्न प्राधिकरणों और निकायों के गठन के लिये उपबंध करता है;

सन् १९९४ का महा. ३५।

और क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में कृषिकेतर और प्रौद्यौगिकेतर विश्वविद्यालयों को मजबूत बनाने और उन्हें, उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता सुधारने के लिये सक्षम बनाने की दृष्टि के साथ, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ का निरसन और राज्य में सभी कृषिकेतर और प्रौद्योगिकेतर विश्वविद्यालयों के लिये व्यापक विधि अधिनियमित करना इष्टकर समझती है ;

और क्योंकि यह अपेक्षित है कि नया अधिनियम अधिनियमित करने के लिये इस निमित्त विधेयक निकट भविष्य में, राज्य विधान मंडल में पुर:स्थापित किये जाने की संभावना है ;

और क्योंकि विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों और निकायों, नये अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गठित करना आवश्यक होगा ;

और क्योंकि कुछ महाविद्यालयों के प्राधिकरणों और निकायों के सदस्यों की पदावधि, ३१ अगस्त २०१५ को अवसित होगी ;

और क्योंकि इन प्रत्येक विश्वविद्यालयों के प्राधिकरणों और निकायों के निर्वाचित सदस्यों की रिक्तियाँ भरने के लिये, होनेवाले निर्वाचनों को अस्थायी रूप से स्थगित करना इष्टकर समझती है ;

और क्योंकि ऐसे विश्वविद्यालयों के प्राधिकरणों और निकायों के सदस्यों के निर्वाचन अस्थायी रूप से स्थगित करने के लिये उपयुक्त प्रयोजनों के लिये उपबंध करना आवश्यक है; अतः भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

(१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय प्राधिकरणों और अन्य निकायों के सदस्यों के निर्वाचनों का अस्थायी स्थगन) अधिनियम, २०१५ कहलाए।

विश्वविद्यालय प्राधिकरणों और अन्य निकायों के सदस्यों के निर्वाचनों का अस्थायी स्थगन।

(२) महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ (जिसे इसमें आगे " विश्वविद्यालय अधिनियम " कहा गया है) या तद्धीन बनाये गये किन्हीं परिनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, विश्वविद्यालय अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित विश्वविद्यालयों में ऐसे विश्वविद्यालयों के किन्हीं प्राधिकरणों या निकायों के किसी भी निर्वाचित सदस्यों की चाहे किसी भी रीत्या हुई रिक्ति को भरने के लिये ३१ अगस्त, २०१६ तक (जिसे इसमें आगे, इस अधिनियम में " उक्त अवधि " कहा गया है) कोई भी निर्वाचन नहीं लिया जायेगा। सन् १९९४ का महा. ३५।

विश्वविद्यालय प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों के सदस्यों के निर्वाचनों के अस्थायी स्थगन के परिणाम।

(३) विश्वविद्यालय अधिनियम या तद्धीन निर्मित परिनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त अवधि के दौरान, किसी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या किसी अन्य निकाय का कोई कृत्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अवैध नहीं होगी कि, ऐसा किसी प्राधिकरण या निकाय में हुई रिक्तियाँ जो निर्वाचन द्वारा भरनी आवश्यक थी, इस प्रकार नहीं भरी गई हैं।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXX OF 2015.

THE MAHARASHTRA MARINE FISHING REGULATION (AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १९ अगस्त, २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

डॉ. मंगला ठोंबरे,
प्रभारी प्रारुपकार एंव सह-सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXX OF 2015.

AN ACT TO AMEND THE MAHARASHTRA MARINE FISHING REGULATION ACT, 1981.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३० सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २१ अगस्त २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र समुद्री मछुवाही विनियमन अधिनियम, १९८१ में संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नही चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र समुद्री मछुवाही विनियमन अधिनियम, १९८१ में संशोधन करने के लिए सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिये, महाराष्ट्र समुद्री मछुवाही विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, २०१५, १ जून २०१५ को प्रख्यापित हुआ था ;

सन् १९८१ का महा. ५४।
सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. ८।

और क्योकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिये, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र समुद्री मछुवाही विनियमन (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए । संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

(२) यह १ जून २०१५ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

२. महाराष्ट्र समुद्री मछुवाही विनियमन अधिनियम, १९८१ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ के खंड (एक) के स्थान में, निम्न खंड, रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९८१ का महा. ५४ की धारा २ में संशोधन।

सन् १९८१ का महा. ५४।

(झ) " रजिस्ट्रीकरण अधिकारी " का तात्पर्य, मत्स्य उद्योगों के सहायक आयुक्त से है और इसमें राज्य सरकार द्वारा **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे क्षेत्र में इस अधिनियम द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उसपर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसपर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी सम्मिलित होगा ;"।

सन् १९५८ का ४४।

३. मूल अधिनियम की धारा १३ की, उप-धारा (१) में, " राज्य पत्तन संगठन का मुख्य पत्तन अधिकारी " शब्दों के स्थान में, " मत्स्योद्योग आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य " शब्द रखे जायेंगे । सन् १९८१ का महा. ५४ की धारा १३ में संशोधन।

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. ८ का निरसन और व्यावृत्ति ।

४. (१) महाराष्ट्र समुद्री मछुवाही विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, २०१५, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है । सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. ८ ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन, कृत किसी बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी ।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXI OF 2015.

THE MAHARASHTRA RIGHT TO PUBLIC SERVICES ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १९ अगस्त २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

डॉ. मंगला ठोंबरे,
प्रभारी प्रारुपकार एंव संयुक्त-सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXI OF 2015.

AN ACT TO PROVIDE FOR DELIVERY OF TRANSPARENT, EFFICIENT AND TIMELY PUBLIC SERVICES TO THE ELIGIBLE PERSONS IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २१ अगस्त २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में पात्र व्यक्तियों को पारदर्शक, कार्यक्षम और समय पर लोक सेवाएँ परिदान करने के लिए और तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र राज्य के पात्र व्यक्तियों को पारदर्शक, कार्यक्षम और समय पर लोक सेवा परिदान करने के उद्देश से विभागों और सरकारी अभिकरणों और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों मे पारदर्शकता और जवाबदेहिता लाने के लिए जो पात्र व्यक्तियों को सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करेगा और तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए एक व्यापक विधि बनाना इष्टकर था, और इसलिए, महाराष्ट्र लोकसेवाओं का अधिकार अध्यादेश, २०१५, २८ अप्रैल २०१५ को प्रख्यापित हुआ था ;

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. ५ ।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भण तथा प्रयुक्ति।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, २०१५ कहलाए।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगा।

(३) यह २८ अप्रैल २०१५ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

(४) वह ऐसे लोक प्राधिकरणों को लागू होगा जो किसी भी विधियों, नियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों, सरकारी संकल्पों या किन्हीं अन्य लिखतों के उपबंधों के अनुसार पात्र व्यक्तियों को लोकसेवा मुहैया करना है।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) " मुख्य आयुक्त " या " आयुक्त " का तात्पर्य, धारा १३ की उप-धारा (२) के अधीन, नियुक्त किये गये सेवा के अधिकार के लिए राज्य मुख्य आयुक्त या, यथास्थिति, सेवा के अधिकार के लिए राज्य आयुक्त से है ;

(ख) " आयोग " का तात्पर्य, धारा १३ की उप-धारा (१) के अधीन गठित सेवा के अधिकार के लिए राज्य आयोग से है ;

(ग) " सक्षम प्राधिकारी " का तात्पर्य, अनुशासनिक प्राधिकारी या, यथास्थिति, नियंत्रण अधिकारी से है ;

(घ) " विभाग " का तात्पर्य, राज्य सरकार का विभाग या, यथास्थिति, सार्वजनिक प्राधिकरण से है ;

(ङ) " पदाभिहित अधिकारी " का तात्पर्य, कोई अधिकारी, जिसे पात्र व्यक्तियों को लोक सेवाएँ मुहैया करना आवश्यक हे, से है ;

(च) " प्रभागीय आयुक्त " का तात्पर्य, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ की धारा ६ के अधीन, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अधिकारी से है ; सन् १९६६ का महा. ४१।

(छ) " पात्र व्यक्ति " का तात्पर्य, कोई व्यक्ति जो लोक सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र है और उसमें विधिक व्यक्ति भी सम्मिलित हे, से है ;

(ज) " प्रथम अपील अधिकारी " का तात्पर्य, धारा ८ की, उप-धारा (१) के अधीन, संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किये गये किसी अधिकारी से है ;

(झ) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(ञ) " स्थानीय प्राधिकरण " का तात्पर्य, विधि द्वारा गठित किसी प्राधिकरण, नगर निगम, नगर परिषद, **नगर पंचायत,** औद्योगिक नगरी, योजना प्राधिकरण, **जिला परिषद,** पंचायत समिति और ग्राम पंचायत और अन्य स्थानीय स्वायत्त शासनों से है ; और इनमें विकास प्राधिकरण या अन्य सांविधिक या असांविधिक निकाय भी सम्मिलित होंगे ;

(ट) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित से है ;

(ठ) " लोक प्राधिकरण " का तात्पर्य,—

(क) सरकार का कोई विभाग या प्राधिकरण ;

(ख) स्थापित या गठित किए गए किसी संघटन या प्राधिकरण या निकाय या निगम या संस्था या स्थानीय प्राधिकरण से है,—

(एक) राज्य में, भारतीय संविधान के द्वारा या के अधीन ;

(दो) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य विधि द्वारा ;

(तीन) सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना द्वारा ;

(ग) और इसमें,–

(एक) राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित या वित्तीय संस्थान, सहकारी संस्था, सरकारी कंपनी या कोई प्राधिकरण सम्मिलित होंगे ; या

(दो) राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करनेवाला कोई गैर-सरकारी संगठन ;

(ड) " लोक सेवाएँ " का तात्पर्य, धारा ३ के अधीन ऐसी सेवाएँ जैसे कि सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की जाने से है ;

(ढ) " सेवा का अधिकार " का तात्पर्य, सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा, समय-समय से अधिसूचित अनुबद्ध समय सीमा के भीतर, लोक सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों के अधिकार से है ;

(ण) " द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी " का तात्पर्य, धारा ८ की उप-धारा (२) के अधीन संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी से है ;

(त) " अनुबद्ध समय सीमा " का तात्पर्य, पदाभिहित अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्ति को मुहैया की जानेवाली अधिसूचित लोक सेवाओं के भीतर, धारा ३ के अधीन, यथा अधिसूचित की गई समय सीमा से है।

सार्वजनिक सेवाओं पदाभिहित अधिकारियों, अपील प्राधिकरणों और अनुबद्ध समय सीमा को अधिसूचित किया जायेगा।

३. (१) सार्वजनिक प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से तीन महीने की अवधि के भीतर और तत्पश्चात्, समय-समय पर, उसके पदाभिहित अधिकारी, प्रथम और द्वितीय अपील प्राधिकारी और अनुबद्ध समय सीमा के साथ उसके द्वारा दी गई लोक सेवाओं को अधिसूचित करेगा।

(२) सार्वजनिक प्राधिकरण, कार्यालय के सूचना बोर्ड पर, पदाभिहित अधिकारी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के विस्तृत विवरण के साथ उसके द्वारा दी गई लोक सेवाओं की सूची प्रदर्शित करेगा या प्रदर्शित करने का प्रबंध कराएगा।

अनुबद्ध समय सीमा के भीतर सार्वजनिक सेवाएँ प्राप्त करने का अधिकार।

४. (१) इस अधिनियम के अनुसरण में विधि, तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता के अध्यधीन, अनुबद्ध समय-सीमा के भीतर प्रत्येक पात्र व्यक्ति को, राज्य में लोक सेवाएँ प्राप्त करने का अधिकार होगा ;

(२) विधि, तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता के अध्यधीन, सार्वजनिक प्राधिकरण का प्रत्येक पदाभिहित अधिकारी अनुबद्ध समय सीमा के भीतर, पात्र व्यक्ति को लोक सेवाएँ मुहैया कराएगा :

परंतु, निर्वाचन की अवधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा अनुबद्ध समय-सीमा विस्तारित की जायेगी साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं में, जैसा की विहित किया जाए ऐसी बढाई जायेगी।

अनुबद्ध समय सीमा के भीतर सेवाएँ मुहैया करना।

५. (१) ऐसी लोक सेवा प्राप्ति के लिए आवेदन, पदाभिहित अधिकारी को कोई पात्र व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा। आवेदन की सम्यक् प्राप्ति पर, अभिस्वीकृति की जायेगी और आवेदक को लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए, ऐसे आवेदन के निपटान के लिए अनुबद्ध समय सीमा के साथ आवेदन प्राप्ति का विनिर्दिष्ट दिनांक और स्थान, विशिष्ट आवेदन क्रमांक संसूचित किया जायेगा। अनुबद्ध समय, लोक सेवा प्राप्त करने के लिए सभी संबंधितों से पूर्ण अपेक्षित आवेदन पदाभिहित अधिकारी को या उसके अधीन व्यक्ति को जो आवेदन प्राप्त करने के लिए सम्यक्तया प्राधिकृत किया गया है, उसके आवेदन प्राप्ति के दिनांक से शुरू होगा।

(२) पदाभिहित अधिकारी, उप-धारा (१) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, अनुबद्ध समय-सीमा के भीतर सेवा सीधे मुहैया या मंजूर करेगा या ऐसी अस्वीकृति के लिए लिखित में अभिलिखित करने के पश्चात् आवेदन अस्वीकृत करेगा। पदाभिहित अधिकारी, के आदेश के विरुद्ध की जानेवाली अपील, अवधि और जिसके पास दाखिल करवाना है उस प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का उसके कार्यालयीन पते सहीत नाम और पदनाम के बारे में आवेदक को लिखित में संसूचित भी करेगा।

आवेदन की स्थिति का नियंत्रण।

६. (१) किसी लोक सेवाओं के लिए आवेदन करनेवाले प्रत्येक पात्र व्यक्ति को, संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट आवेदन का क्रमांक मुहैया करेगी ताकि नियमों के अधीन विहित की जाए ऐसी प्रक्रिया के प्रचालन के अनुसार, वह ऑनलाईन की ऐसी प्रणाली जिस स्थान में है वहाँ उसके आवेदन की सद्यःस्थिति का नियंत्रण कर सकेगा।

(२) प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण, जहाँ ऑनलाईन की ऐसी प्रणाली कार्यान्वित है वहाँ अनुबद्ध समय-सीमा के भीतर संबंधित लोक सेवाओं के सभी आवेदनों कि स्थिति अद्यतन करने के लिए कर्तव्य हेतु आबद्ध होगा।

लोक सेवाएँ देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग।

७. सरकार, अनुबद्ध समय के भीतर उनकी संबंधित लोक सेवाएँ प्रदान करने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए सभी लोक प्राधिकरणों को प्रोत्साहन देगी और स्फूर्ती देगी।

अपील प्राधिकरणों की नियुक्ति।

८. (१) सार्वजनिक प्राधिकरण, वर्ग ख या उसके समतुल्य श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी जो पदाभिहित अधिकारी की श्रेणी में वरिष्ठतम है, प्रथम अपील प्राधिकारी के रुप में कार्यकरने के लिए नियुक्त किया जायेगा, और विहित की जाए ऐसी निम्न सम्यक् प्रक्रिया के पश्चात् लोक सेवा मुहैया करने में अपनी प्रयुक्ति के विलंब या अस्वीकृति के विरुद्ध पात्र व्यक्ति द्वारा दायर की गई अपील पर सुनवाई और विनिश्चय करेगा।

(२) सार्वजनिक प्राधिकरण, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध में पात्र व्यक्ति साथ ही साथ पदाभिहित अधिकारी द्वारा दाखिल अपील पर सुनवाई और निर्णय देने के लिए द्वितीय अपील प्राधिकारी के रुप में कार्य करने के लिए प्रथम अपील अधिकारी की श्रेणी से उच्चतम श्रेणी के अधिकारी की नियुक्ति करेगी।

अपील।

९. (१) कोई पात्र व्यक्ति, जिसका आवेदन धारा ५ की उप-धारा (२) के अधीन अस्वीकृत किया गया है या जो अनुबद्ध समय-सीमा के भीतर, लोक सेवा नागरिकों को मुहैया नहीं करता हैं तो आवेदन की अस्वीकृति के आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर या अनुबद्ध समय-सीमा के अवसान के भीतर, प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करेगा :

परंतु, प्रथम अपील प्राधिकारी, अपवादिक मामलों में, तीस दिनों कि अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील स्वीकृत कर सकेगा परंतु नब्बे दिनों की अधिकतम अवधि के अध्यधीन यदि इसका समाधान होता है कि, अपील समय में अपील दायर करने से अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण द्वारा रोका गया था।

परंतु, अपील के विनिश्चय के पूर्व, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, अपीलकर्ता साथ ही पदाभिहित अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए सम्यक्तया प्राधिकृत उसका कोई अधीनस्त को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(२) प्रथम अपील प्राधिकारी, पात्र व्यक्ति को आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी अवधि के भीतर, सेवा मुहैया करने के लिए पदाभिहित अधिकारी को निदेश देगा परंतु, जो साधारणतः अनुबद्ध समय-सीमा से बढ़ायी नहीं जायेगी या वह अपील दायर कराने के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील को अस्वीकृत कर सकेगा। अपील की अस्वीकृति के मामले में, वह ऐसी अस्वीकृति के लिए लिखित में कारणों को अभिलिखित करेगा :

परंतु, अपील के विनिश्चय के पूर्व, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, अपीलकर्ता साथ ही पदाभिहित अधिकारी या इस प्रयोजन के लिये सम्यक्तया प्राधिकृत उसका कोई अधीनस्थ को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(३) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध दूसरा अपील, जिस पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का आदेश प्राप्त हुआ है के दिनांक से तीस दिनों के अवधि के भीतर या किसी मामले में जहाँ अपीलकर्ता को प्रथम अपीलीय प्राधिकरण से कोई आदेश प्राप्त नहीं होता है वहाँ प्रथम अपील प्रस्तुत करने के पैंतालीस दिनों के पश्चात्, दूसरे अपीलीय प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा :

परंतु, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपवादात्मक मामलों में तीस दिनों या, यथास्थिति, पैंतालीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी, अपील स्वीकृत कर सकेगा। परंतु, नब्बे दिनों की अधिकतम अवधि के अध्यधीन यदि उसका समाधान होता है कि, समय में अपील दायर करने से अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण द्वारा रोका गया था।

(४) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, उसके आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ऐसी अवधि के भीतर अपीलकर्ता को सेवा मुहैया करने के लिए पदाभिहित अधिकारी को निदेश दे सकेगा या वह अपील दायर कराने के दिनांक से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर, अपील अस्वीकृत कर सकेगा, ऐसी अस्वीकृती के लिए लिखित में कारणों को अभिलिखित करेगा :

परंतु, कोई आदेश जारी करने के पूर्व, दूसरा अपीलीय प्राधिकारी, अपीलकर्ता साथ ही साथ पदाभिहित अधिकारी, या यथास्थिति, इस प्रयोजन के लिए सम्यक्तया प्राधिकृत किसी अधीनस्त को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(५) इस धारा के अधीन किसी अपील पर विनिश्चय करते समय अपीलीय प्राधिकारी और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को, निम्न मामलों के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन वाद के विचारण करते समय जो शक्तियाँ सिविल न्यायालय में, निहित है वह शक्तियाँ होगी, अर्थात् :— सन् १९०८ का ५।

(क) दस्तावेजों या अभिलेखों को प्रस्तुत करना और जाँच करना ;

(ख) सुनवाई के लिए समन्स जारी करना ; और

(ग) अन्य कोई मामले जिसे विहित किया जाए।

शास्ती।

१०. (१) (क) यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की यह राय है कि पदाभिहित अधिकारी, उचित और पर्याप्त कारणों के बिना, लोक सेवा मुहैया करने में असफल रहता है, तब वह राज्य सरकार द्वारा समय-समय से **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, पुनरीक्षित किया जाए ऐसी रकम जो पाँच सौ रुपये से कम न हो परंतु पाँच हजार रुपये से अनधिक हो ऐसी शास्ति का अधिरोपण कर सकेगा।

(ख) यदि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की भी यह राय है कि उचित या पर्याप्त कारणों के बिना अनुबद्ध समय सीमा के भीतर, लोक सेवा प्रदान करने में पदाभिहित अधिकारी चूक करता है, तो वह लिखित में अभिलिखित कारणों के पश्चात्, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की गयी शास्ति की पुष्टि या परिवर्तन कर सकेगा :

परंतु, पदाभिहित अधिकारी, पहले उस पर कोई शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उसे ऐसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

(२) यदि मुख्य आयुक्त या आयुक्त की राय यह है कि किसी पर्याप्त तथा यथोचित कारण के बिना, विनिर्दिष्ट समय के भीतर, अपील का निर्धारण करने में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी बारंबार असफल रहा है या अनुचित रुप से दोषी पदाभिहित अधिकारी को बचाने का प्रयास कर रहा है तब, वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पर जो कि पाँच सौ रुपयों से कम नहीं किन्तु वह पाँच हजार रुपयों तक बढ़ाई जा सकेगी ऐसी शास्ति या **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा पुनरीक्षित ऐसी रकम अधिरोपित कर सकेगा :

परंतु, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी उस पर जो कोई शास्ति अधिरोपित करनी है उसके पूर्व, उसे सुनवाई का उचित अवसर देगा।

शास्ति की वसूली के लिए प्रक्रिया।

११. संबंधित अपीलीय प्राधिकारी या आयोग लिखित में, अधिरोपित शास्ति के रकम के बारे में पदाभिहित अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी के साथ-साथ लोक प्राधिकारी को संसूचित करेगा। पदाभिहित अधिकारी या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, ऐसी संसूचना की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर, शास्ति की रकम अदा करेगा, ऐसे करने में असफल रहेने पर सक्षम प्राधिकारी, संबंधित पदाभिहित अधिकारी या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, के वेतन से शास्ति की रकम वसूल करेगा।

प्रायिक चूककर्ताओं के लिए पदाभिहित अधिकारी पर जिम्मेदारी नियत करने हेतु प्रक्रिया।

१२. (१) सक्षम प्राधिकारी, लोकसेवाएँ मुहैया करने या लोकसेवाएँ मुहैया करने में प्रायिक विलंबो के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकरणों के निदेश के अनुपालन में, प्रायिक चूककर्ताओं से संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रतिबद्ध प्रायिक चूककर्ताओं के बारे में, द्वितीय प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने के पश्चात्, उसके इस स्पष्टीकरण के बुलावे के लिए पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर, पदाभिहित अधिकारी को क्यों न उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की जाये इसकी कारण बताओ नोटीस जारी कर सकेगा। सक्षम प्राधिकारी, यथा लागू अनुशासन नियमों तथा आचरण के अधीन पदाभिहित अधिकारी के विरुद्ध उचित अनुशासनिक कार्यवाहियाँ प्रारंभ करेगा।

(२) ऐसी नोटीस की प्राप्ति के दिनांक से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर, जिस पदाभिहित अधिकारी के विरुद्ध ऐसी नोटीस जारी की गई है वह संबंधित सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन करेगा। विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ हे या स्पष्टीकरण संतोषजनक दिखाई नहीं देता हो तो सक्षम

प्राधिकारी, लोक प्राधिकरण के आचरण तथा अनुशासनिक नियमों में रखी गई विभागीय पूछताछ के साथ अधिकथित कार्यवाही करेगा :

परंतु, यदि सक्षम प्राधिकारी, पदाभिहित अधिकारी के पक्ष में, उचित तथा न्यायसंगत निष्कर्ष निकालता है और इस निर्णय पर आता है कि पात्र व्यकितओं को सेवाओं की परिदान करने में हुए विलंब उस पर फलस्वरूप नहीं थे किन्तु किसी अन्य पदाभिहित अधिकारी पर फलस्वरूप थे तो उसके विरुद्ध ऐसी नोटीस प्रत्याहृत करना सक्षम प्राधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा।

(३) इस अधिनियम के अधीन ऐसे पदाभिहित अधिकारी पर जिम्मेवारी नियत करते समय, सक्षम प्राधिकारी उस संबंध में आदेश पारित करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो का अनुसरण करेगा और पदाभिहित अधिकारी को सुनवाई का उचित अवसर देगा।

महाराष्ट्र राज्य सेवा अधिकार आयोग का गठन ।

१३. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, एक आयोग गठित करेगी जो सेवा अधिकार के लिए महाराष्ट्र राज्य आयोग नाम से जानी जाएगी :

परंतु, जब तक राज्य सरकार द्वारा आयोग गठित नहीं किया जाता है तब तक सरकार **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर यथा अधिसूचित प्रत्येक राजस्व विभाग में प्रभागीय आयुक्त या किसी अन्य सरकारी अधिकारी को आयोग कि शक्तियाँ तथा कृत्य सुपूर्द करेगी।

(२) महाराष्ट्र राज्य सेवा अधिकारी आयोग,—

(क) मुंबई नगर जिला और उपनगर जिले के लिए होनेवाले अधिकार क्षेत्र के सेवा अधिकार के लिए राज्य मुख्य आयुक्त ; और

(ख) सेवा अधिकार हेतु मुंबई शहर जिला और मुंबई उपनगर जिले का क्षेत्र अपवार्जित करके प्रत्येक पत्रव्यवहारी राजस्व प्रभाग के लिए, होनेवाले अधिकार क्षेत्र के लिए राज्य आयुक्त से मिलकर बनेगा।

(३) निम्न से मिलकर बनी समिति कि सिफारिश पर, राज्यपाल द्वारा मुख्य आयुक्त तथा आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे,—

(एक) मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा ;

(दो) विधानसभा में विरोधी दल का नेता ; और

(तीन) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट कैबिनेट मंत्री।

स्पष्टीकरण.——संदेहों के निराकरण के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया गया है कि जहाँ विधानसभा में ऐसा विरोधी दल का नेता मान्य नहीं हुआ हो तब विधानसभा में विरोधी सरकार का एकल बड़े दल का नेता विरोधी दल का नेता समझा जाएगा।

(४) आयोग के कारबारों के सामान्य अधीक्षण, निदेशन तथा व्यवस्थापन मुख्य आयुक्त में निहित होंगे जो आयुक्तों द्वारा सहायता प्राप्त कर सकेगा और आयोग द्वारा जिन शक्तियों या कृत्यों को प्रयुक्त किया जाएगा या पूरा जायेगा ऐसी सभी शक्तियाँ और ऐसे सभी कृत्य प्रयुक्त या पूरा कर सकेगा।

(५) मुख्य आयुक्त तथा आयुक्त सरकार के प्रशासन या लोक प्राधिकरण में अनुभव और विस्तृत ज्ञान के साथ सार्वजनिक जीवन में विख्यात व्यक्ति होंगे।

(६) मुख्य आयुक्त या आयुक्त संसद का सदस्य या किसी राज्य के विधानमण्डल का सदस्य या किसी राजनीतिक दल से संबंधित या किसी अन्य पद का लाभ धारण या कोई व्यापार करनेवाला या कोई पेशा निभाने वाला नहीं होगा।

(७) आयोग का मुख्यालय, मुंबई में होगा तथा आयुक्तों के कार्यालय प्रत्येक राजस्व प्रभाग में होंगे।

पदावधि तथा सेवा की शर्तें।

१४. (१) मुख्य आयुक्त तथा आयुक्त, जिस दिनांक को वे अपने-अपने पदों पर भरती हुए उस दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि के लिए या अपनी आयु के पैंसठ वर्षों की आयु की प्राप्ति तक, जो भी पहले हो, तब तक पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए हकदार नहीं होंगे।

(२) मुख्य आयुक्त या आयुक्त, इस निमित्त राज्यपाल या किसी अन्य व्यक्ति जिनके द्वारा उसे नियुक्त किया गया उनके समक्ष उसके पद पर भरती होने के पूर्व विहित प्रारुप के अनुसार शपथ या अभिकथन बनाएगा और अनुमोदन करेगा।

(३) मुख्य आयुक्त या आयुक्त, किसी भी समय पर राज्यपाल के नाम से अपने हस्ताक्षर के साथ अपने पद से इस्तीफा दे सकेगा।

(४) मुख्य आयुक्त और आयुक्तों को देय वेतन तथा भत्ता और सेवा के अन्य निबंधनों तथा शर्तें क्रमशः राज्य सरकार के मुख्य सूचना आयुक्त और मुख्य सचिव इनके समान ही होंगे। इस पद से कोई पेन्शनी लाभ या अन्य परवर्ती-सेवा निवृत्ति लाभ मुख्य आयुक्त या, यथास्थिति, आयुक्त के पदों से प्रोद्भूत नहीं होंगे :

परंतु, यदि मुख्य आयुक्त या आयुक्त, उसकी नियुक्ति से समय, भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन, किसी पूर्व सेवा के संबंध में निर्योग्यता या हानि पेन्शन से अन्यथा पेन्शन की प्राप्ति में उसका वेतन मुख्य आयुक्त या आयुक्त को सेवा के संबंध में जो परावर्तित पेन्शन था उसके किसी भाग समेत और सेवा निवृत्ति परिदान के समतुल्य पेन्शन निकालकर सेवा निवृत्ति लाभों के अन्य प्रारुप के समतुल्य पेन्शन की रकम घटा दिया जाएगा :

परंतु आगे यह कि, जहाँ मुख्य आयुक्त या आयुक्त, यदि उसकी नियुक्ति के समय, किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निजी या नियंत्रित सरकारी कंपनी के द्वारा या के अधीन स्थापित निगम में प्रस्तुत किसी पूर्व सेवा के संबंध में, सेवा निवृत्ति लाभों की प्राप्ति में, मुख्य आयुक्त या आयुक्त के रुप में सेवा के संबंध में उसका वेतन सेवा निवृत्ति लाभों के समतुल्य पेन्शन की रकम द्वारा कम किया जाएगा :

परंतु यह भी कि, मुख्य आयुक्त तथा आयुक्तों के वेतन, भत्ता और सेवा की अन्य शर्तें उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनकी असुविधा के लिए परिवर्तित नहीं की जाएगी।

(५) सरकार, इस अधिनियम के अधीन, उनके कृत्यों के कार्यक्षम निष्पादन के लिए ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ मुख्य आयुक्त और आयुक्तों का उपबंध करेगी तथा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के देय वेतन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें जैसा कि विहित किया जाए ऐसे होंगी।

मुख्य आयुक्त या आयुक्तों को हटाना।

१५. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल, आदेश द्वारा मुख्य आयुक्त या किसी आयुक्त को उसके पद से हटा सकेगा यदि, मुख्य आयुक्त या यथास्थिति आयुक्त,—

(क) न्यायनिर्णित दिवालिया किया गया है ; या

(ख) ऐसे अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है ; या

(ग) उसकी पदावधि के दौरान, उसके पदीय कर्तव्यों के बाहर कोई वेतनभोगी रोजगार करने में लगा है ; या

(घ) राज्यपाल की राय में, शारीरिक या मानसिक रुप से असमर्थ होने के कारण उसके पद पर बने रहने के लिए अनुपयुक्त है ; या

(ङ) मुख्य आयुक्त या आयुक्त के रुप में ऐसे आर्थिक या अन्य हित आर्जित किए है जो उक्त किसी समर्थताओं में उसके कृत्यों पर प्रतिकूलतः प्रभाव डाल सकता हो।

(२) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मुख्य आयुक्त या कोई आयुक्त, तब तक उसके पद से नहीं हटाया जाएगा जब तक बंबई न्यायाधिकरण के उच्चतर न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्य सरकार द्वारा मुख्य आयुक्त या आयुक्त की बरखास्तगी के लिए आधारों तथा ऐसे प्रस्ताव के सहायक उपादानों के साथ प्रस्तावित बरखास्तगी पर पुछताछ करने की सिफारिश का संदर्भ नहीं दिया गया है।

आयोग की शक्तियाँ तथा कृत्य।

१६. (१) इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना तथा लोक सेवाओं की बेहतर सुपूर्दगी सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार को परामर्श करना यह आयोग का कर्तव्य होगा। इस प्रयोजन के लिए आयोग,—

(क) इस अधिनियम के अनुसार लोक सेवाओं की सुपूर्दगी करने में असफलता की नोटीस **स्वप्रेरणा से** लेना तथा निपटान के लिए जैसा उचित समझे ऐसे मामलों को निर्दिष्ट करना ;

(ख) लोक सेवाओं की सुपूर्दगी के साथ सौंपी गई पदों की तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकरण और द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण के पदों की जाँच-पड़ताल कार्यान्वित करना ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन उन पर सौंपे गए कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन में जो असफल हुए है ऐसे किसी पदाभिहित अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारीयों के विरुद्ध विभागीय पुछताछ की सिफारीश करना ;

(घ) लोक सेवाओं की सुपूर्दगी के लिए प्रक्रियाओं में परिवर्तन की सिफारीश करना जिससे अधिक पारदर्शक तथा सरल सुपूर्दगी की जा सके :

परंतु, ऐसी सिफारीश करने के पूर्व, आयोग जो सेवा को सुपूर्द करता है उस विभाग के प्रभारी प्रशासनिक सचिव से परामर्श करेगा ;

(ङ) लोक सेवाओं की कार्यक्षम सुपूर्दगी के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा कदम उठाने की सिफारीश करेगा ;

(च) सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा लोक सेवाओं की सुपूर्दगी का मानिटर करेगा ;

(छ) धारा १८ के अनुसार उसके समक्ष प्रस्तुत अपील पर सुनवाई लेना और विनिश्चय करना।

(२) आयोग को, इस धारा के अधीन किसी मामले में जाँच-पड़ताल करते समय, निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में जो शक्तियाँ निहित हैं, वही होंगी, अर्थात् :— सन् १९०८ का ५।

(क) व्यक्तियों की उपस्थिति को बुलावा भेजना तथा प्रवर्तित करना, शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने और दस्तावेजों या बातों को पेश करने के लिए उन्हें बाध्य करना ;

(ख) दस्तावेजों के अन्वेषण तथा जाँच माँग करना ;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से उसके लिए किसी लोक अभिलेखों या प्रतियों की मांग करना ;

(ङ) साक्ष्यों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए सम्मन जारी करना ; और

(च) कोई अन्य मामला जैसा कि विहित किया जाए।

आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा कार्यवाही।

१७. राज्य सरकार, धारा १६ की उप-धारा (१) के खण्ड (ग), (घ), तथा (ड़) के अधीन, आयोग द्वारा बनायी गयी सिफारिशों का विचार करेगी और तीस दिनों की अवधि के भीतर या आयोग के साथ परामर्श में विनिश्चित किये जाये, ऐसे दीर्घतर समय में ली गई कार्यवाही की सूचना आयोग को भेजेगी।

आयोग को अपील।

१८. (१) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के किन्हीं आदेश द्वारा व्यथित हुये पात्र व्यक्ति या पदाभिहित अधिकारी आयोग के समक्ष ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिनो की अवधि के भीतर, अपील दायर कर सकेगा।

(२) मुख्य आयुक्त या, यथास्थिति, आयुक्त ऐसी अपील की प्राप्ति के दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निपटान करेगा। आयोग, पदाभिहित अधिकारी या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करेगा या अधिरोपित शास्ति परिवर्तित या रद्द करेगा, और यदि किन्हीं, ऐसी प्रदत्त शास्ति लौटाने का आदेश कर सकेगा।

वार्षिक रिपोर्ट।

१९. (१) आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपने कार्यों के साथ साथ, लोक सेवायें देने में, सार्वजनिक प्राधिकरण के लोक सेवाओं की सुपूर्दगी के पालन के मूल्यांकन पर रिपोर्ट बनायेगा और राज्य सरकार को वही प्रस्तुत करेगा।

(२) राज्य सरकार, आयोग द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी।

अनुबद्ध समय-सीमा के भीतर सेवाओं की सुपूर्दगी की संस्कृति का विकास करना।

२०. (१) सभी सार्वजनिक प्राधिकरण लोकसेवाएँ प्राप्त करने के लिये विभिन्न प्रमाणपत्र, दस्तावेज, शपथ-पत्र आदि, प्रस्तुत करने के लिए किसी पात्र व्यक्तियों से माँग को कम करने के लिये समयबद्ध प्रभावी कदम उठा सकेंगे। सार्वजनिक प्राधिकरण अन्य विभागों या सार्वजनिक प्राधिकरणों से सीधे आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिये सम्मिलित प्रयास करेगा।

(२) अनुबद्ध समय सीमा के भीतर, लोक-सेवाओं की सुपूर्दगी के लिये, पदाभिहित अधिकारी की तरफ से असफल होने पर प्रयोजन के रूप में कदाचार की ओर नहीं गिना जायेगा और पदाभिहित अधिकारी को, पात्र व्यक्ति की अभिलाषा की ओर संवेदनशील करना तथा अनुबद्ध समय सीमा के भीतर पात्र व्यक्ति को लोकसेवाओं की सुपूर्दगी के लिये सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और ई-शासन संस्कृति को अपनाने का लक्ष्य है।

(३) पदाभिहित अधिकारी की तरफ से प्रायिक चूक के संबंध में, द्वितीय अपील प्राधिकारी या मुख्य आयुक्त या, यथास्थिति, आयुक्त से लिखित में सूचना की प्राप्ति पर, संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण का इस प्रभाव के तथ्यों के अभिलेखन के पश्चात्, उचित प्रशासनिक कार्यवाही करने के लिये सक्षम होगा, परंतु चूककर्ता अधिकारी को कारण बताओ सूचना और सुनवाई का अवसर देने के पूर्व कार्यवाही नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिये, पदाभिहित अधिकारी, यदि, वह एक वर्ष में, कुल पात्र मामलों में दस प्रतिशित चूक करता है तो, वह प्रायिक चूककर्ता समझा जायेगा।

(४) सभी पदाभिहित अधिकारियों और अपील प्राधिकारियों को लोक सेवाओं की समयबद्ध सुपूर्दगी को बढाने और सुनिश्चित करने के लिये एक कालिक प्रशिक्षण दिया जायेगा। राज्य सरकार, सभी संबंधित अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण प्रक्रिया सुकर करेगी और यह अधिकारियों और या कर्मचारियों के पाठ्यक्रम के आधार मे पाठ्यचर्या का भाग होगी।

(५) (क) पदाभिहित अधिकारियों की कार्यक्षमता को प्रोत्साहित करने और बढावा देने के लिये, सार्वजनिक प्राधिकरण का प्रमुख, पदाभिहित अधिकारी के पक्ष में, जिसके विरूद्ध एक वर्ष में कोई चूक प्रतिवेदित नहीं की गई है और जो अनुबद्ध समय-सीमा के पूर्व सेवायें देता हो, अधिमूल्य के प्रमाणपत्र के साथ सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये ऐसी रकम को नकद प्रोत्साहन की मंजूरी कर सकेगा और संबंधित अधिकारी के सेवा अभिलेख में प्रविष्टि की जायेगी।

(ख) राज्य सरकार, सार्वजनिक प्राधिकरण जो, इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्राप्त करने में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, को बढ़वा देने के लिये समुचित पुरस्कार दे सकेगी।

निधियों का आबंटन।

२१. सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिये और पदाभिहित अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों और उनके कर्मचारीवृंदों के प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त निधियाँ आबंटित करेगी।

अनुशासनात्मक नियमों के अनुपूरक उपबंध।

२२. इस अधिनियम की धारा ९, १२ और धारा २० की उप-धारा (३) के उपबंध, अनुशासनात्मक और वित्तीय नियमों के लिये अनुपूरक होंगे और ऐसे अन्य सेवा नियम और विनियम सरकार या, यथास्थिति, संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण के कर्मचारियों को लागू होंगे।

झूठ या गलत सूचना आदि देने के लिए पात्र व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही।

२३. यदि कोई पात्र व्यक्ति, आवेदन में झूठ या गलत सूचना जानबुझकर देता है और ऐसी सूचना या दस्तावेजों के आधार पर इस अधिनियम के अधीन लोक सेवायें प्राप्त करता है, उस मामले में, तत्समय प्रवृत्त दण्ड-विधि के सुसंगत उपबंधों के अधीन, उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

निदेशों को जारी करने की सरकार की शक्ति।

२४. राज्य सरकार, सार्वजनिक प्राधिकरण को, इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिये लिखत में, ऐसे सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगी और सार्वजनिक प्राधिकरण, ऐसे निदेशों के अनुसरण के अनुसार और कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण।

२५. इस अधिनियम या किसी नियमों या तद्धीन बनाये गये के नियमों अधीन सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं की जायेगी।

अधिकारिता का वर्जन।

२६. किसी भी सिविल न्यायालय अधिकरण या अन्य प्राधिकरण को, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन, जिस आयोग या अपील प्राधिकरण को सशक्त किया गया है उसके किसी मामले के संबंध में अवधारण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

अन्य विधियों में अधिनियम का अभिभावी होना।

२७. इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित सेवाओं के संबंध में तथा उसके कार्यान्वयन के संबंध में इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी अनअसंगत बात के होते हुए भी इस अधिनियम से अन्य किसी विधि के आधार द्वारा प्रभावी होंगे।

नियम बनाने की शक्ति।

२८. (१) सरकार. पूर्ववर्ती प्रकाशन के शर्तों के अध्यधीन, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए, चाहे एक सत्र में हो या दो या इससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो को मिलाकर हो, रखा जाएगा, और यदि उस सत्र के, जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या सद्य अनुवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन किसी नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम नहीं बनाया जाए, और ऐसे विनिश्चय को **राजपत्र** में अधिसूचित करते है तो नियम **राजपत्र** में अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से ऐसा विनिश्चय ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जाएगा ; तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई या करने से छोडी गई किसी बात की विधिमान्यता प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

२९. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भत होती है तो राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा, जैसा अवसर उद्भूत हो, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत ऐसी बात कर सकेगी, जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परंतु, इस अधिनियम के प्रारम्भण से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जाएगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. ५ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

३०. (१) महाराष्ट्र लोक सेवाओं का अधिकार अध्यादेश, २०१५ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०१५ का महा. अध्या. ५।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत,) इस अधिनियम, के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत की गई, या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जोयेगी।

(यथार्थ अनुवाद)
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXII OF 2015.

THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING (AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १९ अगस्त २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
प्रारुपकार एवं सह सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXII OF 2015.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३२ सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २१ अगस्त २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् १९६६ का महा. ३७।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य: कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र प्रादेशिक

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र.६।

तथा नगर योजना (संशोधन) अध्यादेश, २०१५, २८ अप्रैल २०१५ को प्रख्यापित हुआ था ;

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधान मंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए । (२) यह २८ अप्रैल २०१५ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

सन् १९६६ का महा ३७ की धारा १२४च मे संशोधन ।

सन् १९६६ का महा. ३७ ।

२. महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा, १२४ च की, उप-धारा (२) में, " किसी शैक्षणिक संस्था, चिकित्सा संस्था या पूर्त संस्था द्वारा किसी भूमि या भवन के विकास पर " शब्दों के स्थान में, " जो भाण्डागार या गोदाम के लिए प्रस्तावित है, या किसी शैक्षणिक संस्था, चिकित्सा संस्था या पूर्त संस्था द्वारा, किसी भूमि या भवन के विकास पर " शब्द रखे जायेंगे ।

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. ६ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

३. (१) महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन) अध्यादेश, २०१५, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. ६ ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना समेत), इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई, या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIII OF 2015.

THE MAHARASHTRA FISHERIES (AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २० अगस्त २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

डॉ. मंगला ठोंबरे,
प्रभारी प्रारुपकार एवं सह सचिव।
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIII OF 2015.

AN ACT TO AMEND THE MAHARASHTRA FISHERIES ACT, 1960.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३३ सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २१ अगस्त २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र मछुवाही अधिनियम, १९६० में संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र मछुवाही अधिनियम, १९६० में संशोधन करने के लिए, सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र मछुवाही (संशोधन) अध्यादेश, २०१५, २२ जून २०१५ को प्रख्यापित हुआ था ;

सन् १९६१ का महा. १।

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १५।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम मे बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र मछुवाही (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए ।

(२) यह २२ जून २०१५ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

सन् १९६१ का महा. १ की धारा ४ में संशोधन।

सन १९६१ का १।

२. महाराष्ट्र मछुवाही अधिनियम, १९६० (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ४ की, उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी अर्थात् :—

" (१ क) राज्य सरकार, एक सौ हेक्टर्स तक आवेष्टित कुल जल विस्तृत क्षेत्र आवश्यक सभी ग्राम पंचायतों और अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित जलाशयों में निम्न स्थानिय प्राधिकरणों को मछली पकडने के अधिकारों की मंजूरी के लिये नियम बना सकेगी,—

(एक) यदि, ऐसे लघु जल निकाय एक **ग्राम सभा** की अधिकारिता के भीतर है, तब उसके ग्राम **पंचायत** के हो,

(दो) यदि, ऐसे लघु जल निकाय दो ग्राम **पंचायत** की अधिकारिता के भीतर है, तब **पंचायत समिति** के हो,

(तीन) यदि, ऐसे लघु जल निकाय दो **पंचायत समिति** से अधिक की अधिकारिता के भीतर है, तब **जिला परिषद** के हो :

परंतु, ऐसे लघु जल निकायों के संबंध में, अनुसूचित क्षेत्रों में जनित राजस्व, ग्राम निधि को विनियोजित किया जायेगा और दो या अधिक **ग्राम पंचायतों** के बीच, यदि कोई हो समान भाग में विभाजित किया जायेगा और उसे संबंधित **पंचायत** के क्षेत्र के विकास के लिये उपयोग में लाया जायेगा ।

स्पष्टीकरण.— इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(एक) " ग्राम सभा ", " पंचायत " और " अनुसूचित क्षेत्रों " की अभिव्यक्तियाँ, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में उन्हें क्रमशः समनुदेशित अर्थान्तर्गत होंगी ; सन् १९५९ का ३।

(दो) " पंचायत समिति " और " जिला परिषद " अभिव्यक्तियाँ, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में उन्हें क्रमशः समनुदेशित अर्थान्तर्गत होंगी । "। सन् १९६२ का महा. ५।

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १५।

३. (१) महाराष्ट्र मछुवाही (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०१५ का महा. अध्या क्र. १५ का निरसन और व्यावृति।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई बात या की गई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी अपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.